अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

सिविल विमानन विभाग

3.1 सिविल विमानन विभाग के क्रियाकलापों में अनियमितताएं

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन क्लब 2008 – 13 के दौरान उड़ान के घंटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। ₹ 5.36 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद खर्च, आय से ₹ 1.05 करोड़ तक बढ़ गया था। 2007 – 08 के बाद हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था, विमान चालकों को अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया गया था और वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक के पद की स्वीकृति भर्ती के 10 महीनों बाद की गई थी।

सिविल विमानन विभाग 1966 में वी.आई.पी. एयरक्राफ्ट्स के रख – रखाव, उड़ान, ग्लाईडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, और विमान चालकों, एयरक्राफ्ट रख – रखाव इंजीनियरों, केबिन क्रू, ग्राऊंड स्टॉफ इत्यादि को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान 1998 में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक समिति के तौर पर स्थापित किया गया था। संस्थान की गतिविधियां करनाल, पिंजौर और हिसार में स्थित तीन विमानन क्लबों में माध्यम से चलाई जा रही थी। सलाहकार, सिविल विमानन, सचिव, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान और इसके तीन विमानन क्लबों के कार्यालय में 2008 – 09 से 2012 – 13 तक की अवधि के रिकार्डों की अप्रैल 2013 के दौरान नमूना – जांच की गई। आडिट के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनियमितताएं देखी गई।

(i) लक्ष्यों की अप्राप्ति

कार्यकारी समिति ने मई 2005 में प्रत्येक विमानन क्लब के लिए 1,500 घंटों के उड़ान लक्ष्य निश्चित किए थे जो मार्च 2011 में संशोधित कर 2,000 घंटे कर दिए गए थे। आडिट के दौरान यह देखा गया कि पिंजौर और हिसार के क्लबों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जैसा कि **तालिका 3.1.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1.1 लक्ष्यों और प्राप्तियों की वर्षवार विवरण

वर्ष	प्रत्येक विमानन क्लब के लिए लक्ष्य घंटे[1]	पिंजौर		हिसार		करनाल	
		उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति	उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति	उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति
2008-09	1,500	0	0	1,183	79	2,348	157
2009-10	1,500	158	11	893	60	2,245	150
2010-11	1,500	492	33	589	39	2,009	134
2011-12	2,000	0	0	83	4	1,801	90
2012-13	2,000	638	32	1,124	56	1,358	68
कुल	**8,500**	**1,288**	**15**	**3,872**	**46**	**9,761**	**115**

(स्रोत: हरियाणा सिविल विमानन संस्थान क्लबों द्वारा आपूरित सूचना)

1. कार्यकारी समिति, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने केवल वर्ष 2005 – 06 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए। चूंकि उसके बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, अत: विश्लेषण के लिए 2008 – 09 से 2010 – 11 के लिए 1,500 घंटों को लक्ष्य माना गया।

यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2008 – 13 की अवधि के दौरान पिंजौर और हिसार क्लबों में, क्रमश: 15 और 46 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। विमानन क्लब, पिंजौर में चीफ फ्लाईग इंस्ट्रक्टर के जुलाई 2007 और अगस्त 2009 के बीच उपलब्ध न होने के कारण और चीफ फ्लाईग इंस्ट्रक्टर के जनवरी 2011 से सिंतबर 2011 तक अस्थाई तौर पर मेडिकली अनफिट रहने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हिसार में चीफ फ्लाईग इंस्ट्रक्टर 2009 – 10 और 2010 – 11 के दौरान मेडिकली अनफिट था और 2011 – 12 में चीफ फ्लाईग इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं था। 791[2] में से केवल 73 उम्मीदवार कमर्शियल पायलट लाईसेंस प्राप्त करने में सफल हुए क्योंकि उम्मीदवारों को पर्याप्त फ्लाईग घंटे प्रदान नहीं किए गए और कमर्शियल पायलट लाईसेंस प्राप्त करने के लिए वे फ्लाईग के अनिवार्य 200 घंटे प्राप्त करने में विफल रहे। इस प्रकार, लंबी अवधियों के लिए चीफ फ्लाईग इंस्ट्रक्टर की तैनाती न होने के कारण क्लबों ने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए।

एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने विभाग को दी गई ट्रेनिंग का डाटा प्रस्तुत करने, कम निष्पादन के लिए कारणों की छानबीन करने की सलाह दी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ii) आय पर अधिक व्यय

2008 – 13 के दौरान हरियाणा सिविल विमानन संस्थान क्लबों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि ₹ 12.50 करोड़ की कुल प्राप्ति के विरूद्ध व्यय ₹ 18.91 करोड़ था परिणामस्वरूप जैसा **तालिका 3.1.2** में दिए अनुसार ₹ 6.41 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

तालिका 3.1.2: 2008 – 13 के दौरान हरियाणा सिविल विमानन संस्थान की प्राप्ति और व्यय की स्थिति

विमानन क्लब	क्लब की गतिविधियों से आय	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	सहायतानुदान के बाद अतिरिक्त व्यय
	(₹ लाख में)				
पिंजौर	141.83	225.45	367.28	418.32	51.04
हिसार	328.84	171.62	500.46	593.05	92.59
करनाल	779.31	139.21	918.52	879.67	(-) 38.85
कुल	**1,249.98**	**536.28**	**1,786.26**	**1,891.04**	**104.78**

(स्रोत: हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा आपूरित सूचना)

उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5.36 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था। इसके बावजूद, अभी भी ₹ 1.05 करोड़ का अधिक व्यय था। पिंजौर तथा हिसार के क्लबों ने उम्मीदवारों के सिक्योरिटी डिपोजिट्स से अधिक व्यय पूरा किया जो अनियमित था क्योंकि सिक्योरिटी डिपोजिट्स उम्मीदवारों को वापस करने थे और इन्हें संस्थान के दैनिक व्यय के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि करनाल क्लब ने दिए हुए लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, इसकी प्राप्तियां व्यय से ₹ एक करोड़ कम थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि विमानन क्लब, पिंजौर और करनाल ने क्रमश: ₹ 37 लाख और ₹ 37.76 लाख के अव्ययित सहायता अनुदान सावधि जमा के रूप में रखे। यह सहायता अनुदान की संस्वीकृति की शर्तों के विरूद्ध था।

---

[2] विमानन क्लब, करनाल: 633 उम्मीदवारों में से 49 कमर्शियल पायलट लाईसेंस; विमानन क्लब, पिंजौर: 82 उम्मीदवारों में से 8 कमर्शियल पायलट लाईसेंस; और विमानन क्लब, हिसार: 76 उम्मीदवारों में से 16 कमर्शियल पायलट लाईसेंस।

(iii) हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा वार्षिक रिपोर्टों और बैंलेस शीट का तैयार न किया जाना

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के नियमों के नियम 7 और 9 में कार्यकारी समिति की बैठक तीन माह में एक बार और जनरल बॉडी की बैठक वर्ष में एक बार आयोजन के लिए प्रावधान है। आडिट में यह देखा गया कि आडिट में कवर की गई पांच वर्षों की अवधि के दौरान कार्यकारी समिति ने केवल एक बैठक मार्च 2011 के दौरान आयोजित की थी।

कार्यकारी समिति ने, 2007 – 08 से जनरल बॉडी के विचार हेतु वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंसशीट और आडिट खाते तैयार नहीं किए थे। वार्षिक रिपोर्टों और बैलेंसशीटों के अभाव में, संस्थान की वित्तीय और भौतिक प्राप्तियों को आडिट में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, एडवाइजर, सिविल विमानन ने वार्षिक रिपोर्टों, बैलेंसशीट इत्यादि तैयार करने का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(iv) *वसूलनीय पार्किंग और रख – रखाव शुल्क*

सलाहकार, सिविल विमानन, हरियाणा ने 2006 से ₹ 50,000[3] के मासिक चार्जिज पर मैसर्ज एरियल एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी और विमानशाला सुविधाएं प्रदान की। समय पर किराए को जमा न करने के मामले में, एजेंसी 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर विलंब फीस चार्जिज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। रिकार्डस की संवीक्षा ने दर्शाया कि एजेंसी ने अगस्त 2011 से मासिक शुल्कों का भुगतान नहीं किया था और 31 मार्च 2013 को ₹ 9.20 लाख की राशि (20 माह के लिए ₹ 8 लाख पार्किंग शुल्क के तौर पर) और ₹ 1.20 लाख 12 माह के लिए रख – रखाव चार्जिज के तौर पर 18 प्रतिशत की दर पर लेट फीस चार्जिज सहित वसूलनीय थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सलाहकार, सिविल विमानन ने सूचित किया कि कुल राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(v) डेपुटेशन पर पायलटों को अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान

सितंबर 2008 में सरकार ने भारत के रक्षा मंत्री से डेपुटेशन आधार पर दो हेलीकाप्टर पायलट प्रदान करने के लिए संपर्क किया। भारतीय वायु सेना ने 2008 में डेपुटेशन की शर्तों को सहमति के लिए प्रेषित किया। भारतीय वायु सेना के दो अधिकारियों ने अप्रैल 2009 में डेपुटेशन पर सरकार में कार्यग्रहण किया।

आडिट ने देखा कि पायलटों को अक्तूबर 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा उल्लेख किए गए अन्य भत्तों के साथ – साथ विशेष यात्रा भत्ता के तौर पर ₹ 45,000 प्रतिमाह की दर (₹ 1,500 प्रति लैडिंग न्यूनतम 30 लैडिंग) से ₹ 63.48 लाख का भुगतान किया गया। ये भत्ते भारतीय वायु सेना द्वारा अनुमोदित डेपुटेशन की शर्तों के विरूद्ध थे। इंगित किए जाने पर विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा नियत वेतन और भत्तों के अनुसार किया जा रहा था। भत्ते और उच्चत्तर राशि का भुगतान डेपुटेशन पर अधिकारी को किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समानता सुनिश्चित करने के लिए वेतन और भत्ते भारतीय वायु सेना के नियमानुसार ही प्रदान किए जाने थे।

---

[3] ₹ 40,000 हैंगर शुल्कों और 10,000 रख – रखाव शुल्कों के रूप में।

(vi) अनियमित नियुक्ति

सिविल विमानन विभाग सेवा नियम, 2011 के अनुसार अन्य भत्तों के साथ ₹ 37,400-₹ 67,000 + 10,000 ग्रेड-पे के वेतनमान में हैलीकाप्टर पायलटों को सीधी भर्ती द्वारा या पहले से राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में कर्मचारियों को स्थानांतरण या डेपुटेशन पर नियुक्त किया जाना था।

हैलीकाप्टर के परिचालन के लिए, राज्य सरकार ने अप्रैल 2009 से दो अधिकारियों को भारतीय वायु सेना से डेपुटेशन पर लिया था। एक अधिकारी ने भारतीय वायु सेना से समयपूर्व सेवानिवृति लेने के बाद इस शर्त पर सरकार में एबसोर्पशन की सहमति दी कि उसे सीनियर एक्जेक्टिव पायलट के बराबर ₹ 12,000 के ग्रेड-पे तथा अन्य भत्तों के साथ सीनियर एक्जेक्टिव पायलट के तौर पर नियुक्त किया जाए। सिविल विमानन विभाग सेवा नियमों, 2011 के अनुसार राज्य में सीनियर एक्जेक्टिव पायलट का केवल एक पद था जो पहले ही भरा हुआ था। तथापि, विभाग ने भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत अधिकारी को ₹ 57,320 मूल वेतन + ₹ 12,000 ग्रेड-पे तथा सीनियर एक्जेक्टिव पायलट को उपलब्ध अन्य भत्तों के साथ जनवरी 2012 से सीनियर एक्जेक्टिव पायलट के तौर पर नियुक्त कर दिया।

आडिट ने देखा कि सरकार ने सीनियर एक्जेक्टिव पायलट से एक पद के सृजन के लिए अक्तूबर 2012 में स्वीकृति प्रदान की थी जबकि अधिकारी को जनवरी 2012 से नियुक्त कर दिया गया था जो नियमों के विरूद्ध था। इसके अतिरिक्त, पद को हरियाणा लोक सेवा आयोग की सीमा से बाहर भी रखा गया था और किसी विज्ञापन के बिना भरा गया था। इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि हैलीकाप्टर के आवश्यक तथा निर्विघ्न परिचालनों के लिए, सरकार ने सीनियर एक्जेक्टिव पायलट का एक पद सृजित किया था और इस अधिकारी को जनवरी 2012 से इस पद पर एबर्जोब किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पद के सृजन के लिए अनुमोदन अक्तूबर 2012 में जारी किया गया था जबकि अधिकारी को जनवरी 2012 से एबजार्ब किया गया था। इसके अतिरिक्त, अहर्ता प्राप्त/योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए पद का प्रचार कभी नहीं किया गया था।

उपयुक्त बिंदु सरकार को भेजे गए थे (जुलाई 2013), परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। फिर भी, अक्तूबर 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार सिविल विमानन विभाग के साथ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी तथा कांफ्रेंस के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

सिविल सचिवालय

3.2 अनियमित व्यय

मुख्य सचिव के ग्रेड में दो से तीन पदों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध पांच से बारह एक्स – काडर पदों को भारत सरकार के अनुमोदन के बिना आपरेट किया गया। स्क्रीनिंग समिति का गठन किए बिना नियुक्तियां की गई, परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) नियम के नियम 9 (7) के अनुसार किसी भी समय पर, पदभार रखने के लिए नियुक्त सेवा के सदस्यों की संख्या, उप नियम (1) तथा उप – नियम (4) में संदर्भित काडर पदों से अन्य, जो कि ₹ 26,000 प्रतिमाह का वेतन लेते हैं (1 जनवरी 2006 से ₹ 80,000) तथा जिन्हें राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के विरूद्ध माना जाता है, राज्य काडर या संयुक्त काडर जैसा भी केस हो, में वेतन के उस स्तर के काडर पदों की संख्या से केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना अधिक नहीं होगी। भारत सरकार ने विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्यचालन के लिए दिशा – निर्देश भी जारी किए थे (मार्च 2000), जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में संबद्ध मुख्य सचिव, काडर में इस ग्रेड में काम करने वाला एक अधिकारी तथा समान ग्रेड में भारत सरकार में सेवा करने वाला अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के 2007 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4.5.6 शीर्षक ''अधिक एक्स – काडर पदों को चलाने पर अनियमित खर्च'' में बिना भारत सरकार के अनुमोदन के अप्रैल 1995 से दिसंबर 2005 के दौरान मुख्य सचिव के ग्रेड (₹ 26,000, 1 जनवरी 2006 से ₹ 80,000 संशोधित) में एक से चार, अधिक एक्स – काडर पदों को चलाने से संबंधित उल्लेख किया गया था। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के साथ इन पदों को नियमित करने का मामला उठाया, परंतु भारत सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। फरवरी 2007 तथा उसके बाद मई 2013 में भारत सरकार के साथ फिर से मामला उठाया गया। हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति में मामले पर चर्चा के बाद (दिसंबर 2012) तथा मुख्य सचिव ने लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया कि वह इन एक्स – काडर पदों के संचालन के लिए पूर्व – प्रभावी अनुमोदन के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाएगा। इस संबंध में आगे की कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

आडिट ने अवलोकित किया कि एक्स – काडर पदों को लोक लेखा समिति द्वारा निर्देशित अनुसार जो नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के उपर्युक्त अनुच्छेद में इंगित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा अभी भी नियमित किया जाना था। राज्य सरकार ने फिर भी मार्च 2007 से जून 2013 तक मुख्य सचिव ग्रेड में 5 से 12 पदों को, स्वीकृत संख्या दो[4] (25 अगस्त 2003 से 12 अक्तूबर 2010) से तीन[5] (13 अक्तूबर 2010 से जून 2013) पदों के विरूद्ध चलाए रखा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन में, स्क्रीनिंग समिति का गठन किए बिना की गई। इसके

[4] 1. मुख्य सचिव, 2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।

[5] 1. मुख्य सचिव, 2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, 3. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।

परिणामस्वरूप मार्च 2007 से जून 2013 तक की अवधि में ₹ 5.37 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

मामले पर एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई (जनवरी 2014) जहां मुख्य सचिव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति में काफी कम वित्तीय प्रभाव था क्योंकि वे सभी अपने वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंच चुके थे इस प्रकार उनके वेतन तथा भत्तों पर कुल व्यय ₹ 5.37 करोड़ को अनियमित नहीं माना जाए। उन्होंने आगे सूचित किया कि इस बार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति को गठित किया गया था तथा भारत सरकार से अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने भी कहा कि राज्य सरकार कार्य की आवश्यकता के कारण भविष्य में भी इन पदों को चलाना जारी रखेगी तथा यह लगभग सभी राज्यों द्वारा किया जा रहा था।

मुख्य सचिव का दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित पदों के विरूद्ध अधिक पदों की नियुक्ति अनियमित तथा भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध थी। लोक लेखा समिति ने सरकार को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा था परंतु अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था (जनवरी 2014)। आगे, वेतन तथा भत्तों पर किए गए व्यय को अनियमित माना गया क्योंकि अधिकारियों को, नियमों तथा भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध मुख्य सचिव ग्रेड अनुमत किया गया था।

3.3 अनुबंध के निष्पादन के बिना बैंकों को जगह का आबंटन

किराए और बिजली प्रभारों के लिए कोई अनुबंध किए बिना हरियाणा सिविल सचिवालय भवनों में दो बैंकों को कार्यालय तथा आटोमेटिड टैलर मशीनों के लिए जगह दी गई परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

हरियाणा सरकार ने सिविल सचिवालय भवन, सैक्टर-1 में 2,106 वर्गफुट और 598 वर्गफुट जगह क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक और हरियाणा स्टेट अपैक्स कोआपरेटिव बैंक को 1980 के दशक में प्रदान की। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को भी 19 नवंबर 2001 और 6 नवंबर 2003 को क्रमश: 144 और 120 वर्ग फुट क्षेत्र में उनकी आटोमैटिड टेलर मशीनें लगाने की अनुमति दी गई।

किराया और बिजली प्रभारों के भुगतान के लिए कोई अनुबंध नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 1992 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 78.74 लाख का किराया वसूल नहीं किया गया और सरकार ने अप्रैल 1986 से मार्च 2013 तक इन बैंकों द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए ₹ 48.04 लाख के बिजली शुल्कों का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, नए सचिवालय भवन (सैक्टर-17, चंडीगढ़) में भी हरियाणा स्टेट अपैक्स कोआपरेटिव बैंक (356.50 वर्गफुट) और भारतीय स्टेट बैंक (434 वर्गफुट) को किराए और बिजली शुल्कों के भुगतान के लिए कोई अनुबंध किए बिना जगह आबंटित की गई। परिणामत:, ₹ 23.43 लाख (जनवरी 1998 से मार्च 2013 तक किराया: ₹ 17.27 लाख और बिजली शुल्क ₹ 6.16 लाख) की वसूली भी नहीं की गई। सरकार को कुल ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि हरियाणा सचिवालय भवनों में जगह, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंकों को आबंटित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बैंकों के कार्य व्यावसायिक प्रकृति के हैं, अत: जगह, रेंटल वेल्यू निर्धारित करने के

बाद दी जानी अपेक्षित थी। प्रधान सचिव, हरियाणा (नवंबर 2013) ने आगे सूचित किया कि हरियाणा सिविल सचिवालय में बैंकों में उप – मीटर लगाए गए थे और हरियाणा के नए सिविल सचिवालय भवन, चंडीगढ़ में उप – मीटर लगाने संबंधी मामला भी उठाया गया है। एग्जिट कांफ्रेंस (जनवरी 2014) में भी मामले पर चर्चा की गई जहां प्रधान सचिव ने लिखित उत्तर को दोहराया और बताया कि अनुबंध करने का मामला बैंकों के साथ उठाया जा रहा है।

विकास एवं पंचायत विभाग

3.4 पंचायत भूमि का प्रबंधन

12,208 हैक्टेयर पंचायत भूमि अतिक्रमण अधीन थी। भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं की गई थी। ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक से 25 माह की देरी से प्राप्त हुआ। सावधि जमा में राशि के न जमा करवाने के कारण ₹ 79.27 लाख के ब्याज की हानि हुई। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आठ मामलों में ₹ 2.39 करोड़ की एन्यूटी का भुगतान नहीं किया गया।

पंजाब ग्राम सांझी भूमि (विनियमन), अधिनियम, 1961 (अधिनियम 1961) जो हरियाणा में भी लागू है, में प्रावधान था कि पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली सारी भूमि को पंचायत द्वारा संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से उपयोग या विक्रय किया जाएगा। राज्य में मार्च 2013 को 6,083 ग्राम पंचायतों के अधीन 3,37,698.4 हेक्टेयर, (8,44,241 एकड़) क्षेत्रफल वाली सांझी भूमि थी।

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय, 21 जिलों में से सात जिलों, 15 ब्लॉकों तथा 255 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना – जांच की गई तथा विभागीय विचार ध्यान में रखने के बाद जांच के परिणाम निम्नानुसार हैं:

➢ पंजाब ग्राम सांझी भूमि (विनियमन) नियम[6] (नियम), 1964 के नियम 3 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नमूना – जांच किए गए सात जिलों में, किसी भी ग्राम पंचायत ने भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं किया था। महानिदेशक, विकास एवं पंचायत ने कहा (सितंबर 2013) कि यह फील्ड में राजस्व स्टाफ (पटवारियों) की कमी के कारण था।

➢ जनवरी 2013 को राज्य में 12,208[7] हेक्टेयर माप की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी परंतु सितंबर 2013 तक केवल 7,567.38[8] हेक्टेयर के संबंध में भूमि खाली करवाने/अतिक्रमण हटाने के लिए केस दर्ज किए गए थे, जैसा कि अधिनियम, 1961 के सैक्शन 7 तथा नियम 1964 के नियम 19 से 21 के अंतर्गत अपेक्षित था। शेष मामलों में, प्रधान सचिव ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए स्टाफ को निर्देश दिया। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

➢ गौ – चरांद भूमि[9] से संबंधित सूचना, जैसे कि, कुल क्षेत्रफल, प्रत्येक पंचायत के अधीन क्षेत्र, इसके कब्जे की स्थिति, उपयोगिता इत्यादि, विभाग द्वारा नहीं रखी जा रही थी जिसके

---

6 जैसा कि हरियाणा में लागू है।

7 निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 में आपूरित डाटा के अनुसार।

8 18,699 एकड़, 4 कनाल तथा 13 मरला।

9 मुख्यत: पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त।

लिए महानिदेशक (विकास एवं पंचायत) ने सूचित किया (जून 2013) कि सूचना सभी उपायुक्तों से प्राप्त कर संकलन अधीन थी।

(i) पंचायत भूमि की बिक्री

(क) ग्राम पंचायत, भादसों (करनाल जिले का इन्द्री ब्लॉक) ने मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए 1994 में करीब 168 एकड़ पंचायती भूमि शर्तो के साथ बेची कि कंपनी (क) गांव के 15 प्रतिशत युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, (ख) ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थापित नलकूपों की क्षतिपूर्ति जमा करवाएगी तथा (ग) भूमि पर खड़े पेड़ ग्राम पंचायत द्वारा नीलाम किए जाने थे तथा भूमि की सारी लागत ग्राम पंचायत को एक मुश्त भुगतान की जानी थी। यह देखा गया कि स्थानीय निवासियों को नौकरी प्रदान नहीं की गई थी, भूमि का एक बड़ा भाग खेती के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। चीनी मिल में स्थापित एक डिस्टीलरी यूनिट दुर्गंध फैला रही थी और क्षेत्र को प्रदूषित कर रही थी। गांव वालों की शिकायत पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल अक्तूबर 2012 में परिसर का निरीक्षण किया जब शुगर मिल आपरेशन में नहीं थी तथा उस समय कोई हानिकर वेस्ट सूचित नहीं किया। यद्यपि कंपनी ने उन व्यक्तियों, जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया था, की सूची प्रस्तुत की थी यह देखा गया कि केवल ठेकेदार के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया गया था। आगे, पंचायत भूमि के नलकूपों की लागत मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से वसूली नहीं गई थी तथा पंचायत ने पंचायती भूमि पर खड़े पेड़ों की नीलामी नहीं की थी। ग्राम पंचायत ने, माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सिविल रिट याचिका[10] भी फाइल की थी, जिसने 1994 की सेल ट्रांजेक्शन को इस आधार में चुनौती दिए जाने की मांग की थी कि निजी प्रयोजन के लिए शामलात देह भूमि की बिक्री अवैध थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, उप निदेशक, पंचायत ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि कोर्ट केस का निर्णय, मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में हो चुका था। कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटान करते हुए (जुलाई 2013) याचिकाकर्त्ताओं को संबंधित प्राधिकारियों से राहत के लिए संपर्क करने का परामर्श दिया और यह निदेश दिया कि यदि इस प्रकार की कोई याचिका दायर की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, याचिका दायर करने की तिथि से छ: माह के अंदर निपटान किया जाए। आगे परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ख) ग्राम पंचायत, बादसा ने, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ ब्लॉक के गांव बादसा में पड़ने वाली 300 एकड़ पंचायत भूमि, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को आगे भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को 99 वर्षो के पट्टे पर हस्तांतर करने हेतु (फरवरी 2009) ₹ 48 करोड़ में बेच दी, भुगतान की अवधि तीन वर्ष थी। जिसके विरूद्ध, मात्र ₹ 28.80 करोड़ (₹ 9.60 करोड़ प्रति की तीन किस्तें), दिसंबर 2012 तक भुगतान किए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने महानिदेशक को स्वास्थ्य विभाग के साथ अर्ध-शासकीय रूप से मामला उठाने को कहा गया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ग) ग्राम पंचायत, मुरथल जिला तथा ब्लॉक, सोनीपत ने 8 एकड़ 8 मरला पंचायत भूमि पुलिस विभाग को सितंबर 2008 में ₹ 20 लाख प्रति एकड़ की कलेक्टर दर पर बेच दी। ग्राम पंचायत ने ₹ 61.33 लाख, 1 मई 2011 को तथा ₹ 92.51 लाख 29 जून 2013 को प्राप्त किए। यह देखा गया कि (i) भूमि की कीमत एक किस्त की बजाय दो किस्तों में दी गई, (ii) अंतिम भुगतान, 2011 तथा 2013

---

[10] 2012 की संख्या 12011

के दौरान विद्यमान कलैक्टर दर के आधार पर नहीं किए गए थे। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने अपने अधिकारियों को पुलिस विभाग को तुरंत मांग भेजने तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने को कहा। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ii) पंचायत भूमि की अल्पावधि लीज

पंचायत भूमि की लीज की शर्तों में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह शामिल है कि (क) वार्षिक लीज धन राशि को बोली के स्थान पर ही भुगतान किया जाएगा एवं लीज के शेष वर्षों के लिए अग्रिम में भुगतान प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंत तक किया जाएगा तथा (ख) लीज धन राशि को देय समय पर जमा करवाने में विफलता लीज को स्वत: ही निरस्त कर देगा तथा बोलीकर्त्ता की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

यह अवलोकित किया गया कि:

➢ 25 ग्राम पंचायतों में ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक तथा 25 माह के बीच श्रृंखलित देरी से प्राप्त किया गया।

➢ कैथल जिले के गुहला ब्लॉक में सात ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली शामलात भूमि, उन पट्टेदारों के निरंतर कब्जे में थी, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक लीज किराए का भुगतान नहीं किया था। जून 2008 से जून 2012 के मध्य 2001 से 2013 तक की अवधि का तीन से छ: वर्ष का लीज किराया ₹ 12.60 लाख, पट्टेदारों द्वारा अपने आप जमा करवा दिया गया था। प्राप्य लीज धन का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं था।

➢ सरपंच, शामगढ़ ग्राम पंचायत (करनाल जिले का नीलोखेड़ी ब्लॉक) ने अपने आप ही तीन पक्षों से एक किस्त की बजाय दो किस्तों में नीलामी (मई 2011) की लीज धन राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया। ₹ 5.79 लाख[11] की राशि जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य प्राप्त की गई जिसके परिणामस्वरूप, नियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत को ₹ 0.14 लाख के ब्याज की हानि हुई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि संबंधित उपायुक्त को राशि की वसूली सुनिश्चित करने तथा चूककर्त्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही आरंभ करने के लिए अनुरोध किया गया था।

➢ पांच मामलों में, सरपंचों ने ₹ 25.26 लाख लीज धनराशि के रूप में प्राप्त किए जिसमें से केवल ₹ 16.90 लाख बैंक में जमा करवाए गए, परंतु शेष ₹ 8.36 लाख की धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा नही करवाई गई थी।

(iii) ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रबंध

(क) आठ मामलों में पंचायती भूमि/स्कूल परिसर में पेड़ों की बिक्री के कारण प्राप्त राशि दो से तीन महीनों के बाद सावधि जमा में परिवर्तित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 79.27 लाख की हानि हुई जैसा कि **तालिका 3.4.1** में विवरण दिया गया है।

---

[11] 14 जनवरी 2012 को ₹ 2.62 लाख, 26 मार्च 2012 को ₹ 1.51 लाख तथा 28 मार्च 2012 को ₹ 1.66 लाख

तालिका 3.4.1: मियादी जमा में राशि जमा करवाने में विलंब

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक/पंचायत का नाम	जिसको भूमि की बिक्री की गई	प्राप्त की गई राशि/प्राप्ति की तिथि	मियादी जमा में जमा की गई राशि/तिथि	मियादी जमा तैयार करने में देरी के कारण ब्याज की हानि
1	बहादुरगढ़/मोटूका	हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	4,098.00 (6 मार्च 2011)	4,098.00 (6 मई 2011)	44.97
2	बल्लभगढ़/अरूवा		1,327.50 (8 जनवरी 2011)	1,327.50 (7 अप्रैल 2011)	24.52
3	कैथल/ग्राम पंचायत लाडाना		467.81 (27 सितंबर 2012)	467.81 (1 से 12 दिसंबर 2012)	5.91
4	शहजादपुर/ग्राम पंचायत गाजीपुर	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	274.05	274.05 (1 नवंबर 2011)	1.79
5	शहजादपुर/ग्राम पंचायत संतोखी		86.35	86.35 (1 नवंबर 2011)	
6	मुरथल/सोनीपत	पुलिस विभाग	92.51 15 मार्च 2013	92.51 (28 जून 2013)	2.08
		कुल	**6,346.22**	**6,346.22**	**79.27**

(स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायत/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से संगृहीत सूचना)

इसी प्रकार, दो मामलों में, प्राप्त ₹ 55.82 लाख को ग्राम पंचायत फंड में जमा नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 3.4.2** में दिया गया है।

तालिका 3.4.2: उन मामलों का विवरण जहां प्राप्तियों को ग्राम पंचायत फंड में जमा नहीं करवाया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक/पंचायत का नाम	विवरण	प्राप्त की गई राशि/प्राप्ति की तिथि	सावधि जमा में जमा की गई राशि/तिथि	टिप्पणी
1	सोनीपत/शाहपुर तुर्क	भूमि क्षतिपूर्ति	5,46.39 (नवंबर 2009)	495.00	सरपंच द्वारा बचत खाते में रखे गए ₹ 51.39 लाख को सैल्फ चैकों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना व्ययित दिखाया गया। वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
2	कडेवाली/सोनीपत	स्कूल परिसर में पेड़ों की बिक्री (₹ 5.21 लाख)	0.78	₹ 0.78 लाख (7 सितंबर 2011)	₹ 4.43 लाख की शेष राशि स्कूल प्रिंसीपल द्वारा रख ली गई परिणामस्वरूप पंचायत को हानि हुई।
	कुल		**547.17**	**495.78**	**₹ 51.39+₹ 4.43 लाख=₹ 55.82 लाख**

(स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायत/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से संगृहीत सूचना)

आडिट में इंगित किए जाने के बाद, प्रधान सचिव ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि संबंधित उपायुक्तों को मामले की जांच करने तथा आवश्यक कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया गया था।

(रव) नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, मार्च 2011 में प्रत्येक जिले के उपायुक्त को प्रदान की गई ₹ एक करोड़ की राशि, बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। राशि को सावधि जमाओं में रखने की बजाय बचत बैंक खातों में रखने के कारण ₹ 0.85 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(iv) वार्षिकी का भुगतान

सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2007) भू–स्वामियों के लिए पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति में भू–स्वामियों को 33 वर्षों तक वार्षिकी के भुगतान का प्रावधान था।

(क) सरकार ने, 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' स्कीम के अंतर्गत, प्रयोग के लिए पंचायत द्वारा गिफ्ट की गई भूमियों के संबंध में ₹ 23.93[12] करोड़ की वार्षिकी प्रदान की जो विकास तथा पंचायत विभाग द्वारा 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान ड्रा की गई यद्यपि ऐसी एन्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

- आठ जिलों में[13] बाद के वर्षों में प्लाटधारियों की संख्या कम कर दी गई। लेकिन 2011–12 के दौरान ₹ 11.20 लाख की अधिक वार्षिकी ड्रा की गई।

- नमूना–जांच किए गए पांच जिलों में, इस प्रकार संस्वीकृति तथा जारी की गई वार्षिक वास्तव में ग्राम पंचायतों को वितरित नहीं की गई तथा ₹ 7.13 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के बैंक खाते में पड़ी थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने महानिदेशक को मामले की जांच करने तथा तदनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

(ख) आठ मामलों में से छः मामलों में ग्राम पंचायत भूमि के क्रेताओं, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वार्षिकी का भुगतान नहीं किया तथा दो मामलों में वार्षिकी का अधूरा भुगतान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ की वार्षिकी की अवसूली के कारण ग्राम पंचायतों को हानि हुई।

प्रधान सचिव के साथ एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान महानिदेशक ने सूचित किया कि ब्याज सहित धन राशि की वसूली के लिए कार्यवाही पहले ही आरंभ की जा चुकी थी।

मामला, अगस्त 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, सितंबर 2013 में, प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग के साथ एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी तथा एग्जिट कांफ्रेंस में किए गए विचार–विमर्श ध्यान में रखे गए हैं तथा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.5 अपात्र राशनकार्ड धारियों को खाद्यान्नों के वितरण के कारण हानि

राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान 1,73 ,907 अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को गेंहूं प्रदान करने के लिए ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर ₹ 18.59 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

भारत सरकार उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से और गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत पहचाने गए परिवारों को विशेष रूप से सबसिडाईज्ड दरों पर वितरण के लिए

---

[12] वार्षिकी 2011–12: ₹ 1,181.20 लाख तथा 2012–13: ₹ 1,211.40 लाख।

[13] (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार, (iv) झज्जर, (v) कुरूक्षेत्र, (vi) महेन्द्रगढ़, (vii) पंचकुला तथा (viii) रोहतक जिले।

राज्य सरकारों को खाद्यान्न आबंटित करती है। राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की पहचान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मार्गनिर्देश तैयार करने तथा प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की सूची से अपात्र परिवारों को हटाने तथा योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए समीक्षा की जानी अपेक्षित है।

जुलाई 2008 में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, राज्य में 12,97,058 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (3,02,500 अन्तोदय अन्न योजना परिवारों सहित) थे जो 13,92,552 (2009 में 14 जिले और 2010 में सात जिले) तक बढ़ गए भारत सरकार ने सब्सिडाईज्ड खाद्यान्न जारी करने के लिए केवल 7,89,000, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मान्यता दी (मई 2005)। भारत सरकार ने 2005 के बाद अनुमानों में संशोधन नहीं किया था। राज्य सरकार ने शेष 6,03,552 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार माना। इन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए अभीष्ट आबंटन में से खाद्यान्न दिए गए और खाद्यान्नों की दर में अंतर (₹ 2.02[14] प्रति किलोग्राम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

आडिट ने देखा कि गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की सरकार द्वारा समीक्षा नहीं की गई और 2011 में किए गए सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि अपात्र गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना राशनकार्डधारक इन सूचियों में शामिल रहे। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय[15] को सूचित किया (नवंबर 2011) कि 3,38,949 गरीबी रेखा से नीचे कार्डधारक अपात्र थे। न्यायालय ने आगे आदेश दिए (नवंबर 2011) कि उन सबके गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड तुरंत रद्द किए जाएं जो इन्हें प्राप्त करने के लिए गलत सूचना दिए हुए पाए जाते हैं। अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों के रद्द किए जाने के बाद गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों की संख्या 10,53,603[16] होनी चाहिए थी। जबकि, मार्च 2013 में अभी भी 12,27,510 गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारक थे। 1,73,097 अपात्र कार्डो के रद्द न करने के कारण राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान इन परिवारों को गेहूं पर प्रदान करने के लिए ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर ₹ 18.59[17] करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया था।

आडिट द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की जानी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अपात्र कार्डधारकों की सूचियों और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों (नवंबर 2011) की प्राप्ति के तुरंत बाद विभाग द्वारा सभी अपात्र गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना कार्डो का रद्द किया जाना तथा सब्सिडाइज्ड खाद्यानों की आपूर्ति बंद किया जाना अपेक्षित था। लेकिन, विभाग ने उनको सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न के वितरण का कार्य जारी रखा।

---

[14] गरीबी रेखा से ऊपर दर ₹ 6.86 प्रति किलोग्राम घटा गरीबी रेखा से नीचे दर ₹ 4.84 प्रति किलोग्राम।

[15] प्रदीप कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के 2010 की सिविल रिट याचिका संख्या 1581 में।

[16] राशन कार्डधारक: 13,92,552 – 3,38,949 = 10,53,603.

[17] अपात्र कार्डधारक: 1,73,90,735 किलोग्राम 16 महीने ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम = ₹ 19,67,23,598 ₹ 19,67,23,59894.49 प्रतिशत (जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दिसंबर 2011 से मार्च 2013 के दौरान वास्तविक लिफ्टिंग का औसत) = ₹ 18,58,84,128.

27 सितंबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में प्रधान सचिव के साथ मामले पर चर्चा भी की गई थी जिसमें यह सूचित किया गया कि विस्तृत उत्तर यह सुनिश्चित करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा कि संशोधित सूचियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला शहरी विकास एजेंसी द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी और अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को खाद्यान्नों का वितरण कब बंद किया गया था। तथापि, अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.6 बांड धन की अवसूली

17 डाक्टरों, जिन्हें सेवा के दौरान उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई थी, से ₹ 1.25 करोड़ की राशि का बांड धन वसूल नहीं किया गया।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक में इसके डाक्टरों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के बारे सरकार की नीति में प्रावधान था कि एक डाक्टर को किसी स्नातकोत्तर कोर्स के लिए पदमुक्त किए जाने से पहले पांच और दस वर्षों के बीच श्रृंखलित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करने के लिए (एच.सी.एम.एस. कैडर में) बांड भरना पड़ता था अथवा, उसके एवज में ₹ 0.60 लाख और 25 लाख के मध्य श्रृंखलित बांड धन सरकारी कोष में भुगतान करना पड़ता था। हरियाणा सिविल सेवा नियम – अवकाश नियम के नियम 58 में शामिल प्रावधानों के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी शिक्षा अवकाश की अवधि के बाद या नियत अवधि के भीतर काम पर लौटने के बिना सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवानिवृत होता है तो उसे अवकाश वेतन की राशि, अध्ययन भत्ते, फीस की लागत, यात्रा तथा सरकार द्वारा किए अन्य खर्चों का दुगना रिफंड करना अपेक्षित होगा।

उन्नीस मैडिकल आफिसर्ज अक्तूबर 1993 और मई 2012 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स के लिए श्योरिटी बांड प्रस्तुत करने के बाद गए थे। कोर्स के समापन के बाद इन 19 डाक्टर्ज ने या तो अपना कार्यभार नहीं संभाला था या बीच में नौकरी छोड़ दी थी और निर्धारित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा नहीं की थी जैसा कि बांड में स्वीकार किया गया था तथा इसीलिए उनके द्वारा बांड धन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जबकि दो डाक्टरों ने बांड धन जमा करवाया था (नवंबर 2012 और सितंबर 2013) शेष 17 डाक्टरों ने ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.25 करोड़ के बांड धन का भुगतान नहीं किया था। उनकी उच्चत्तर शिक्षा की अवधि के दौरान, 10 डाक्टरों को ₹ 0.49[18] करोड़ राशि के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया गया था और 8 डाक्टरों को स्टाईपैंड का भुगतान किया गया था, जिनकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।

मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2013) परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था तथापि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2013) के दौरान बताया कि चूककर्ता डाक्टरों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा आगे विभाग ब्याज के साथ बांड धन वसूल करने के लिए न्यायालय में सिविल मामला दर्ज करने के लिए मामले पर विचार कर रहा है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

---

[18] आरंभिक वेतनमान में तीन वेतन वृद्धिया जोड़कर परिकलित क्योंकि विभाग द्वारा ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग

3.7 हरियाणा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन

मॉनीटरिंग के अभाव में 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन थी, 1,281 वक्फ संपत्तियों के विरूद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था, लीज किरायों को 20 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन, केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधाओं तथा सर्वेक्षण को पूर्ण नहीं किया गया।

राज्य के सभी वक्फों के प्रबंधन एवं सुरक्षा के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत हरियाणा वक्फ बोर्ड की स्थापना अगस्त 2003 में की गई। 1971 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 8,435.45 हेक्टेयर भूमि में 12,505 पंजीकृत तथा अधिसूचित वक्फ संपत्तियां थी। हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट के कार्यालय में 2008 से 2013 की अवधि के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि:

➢ संपत्तियों की नियमित देखभाल तथा निगरानी की कोई प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 को 154.19[19] हेक्टेयर की 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमणाधीन थी तथा केवल 36 मामलों में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित क्षेत्रों के उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को केवल 20 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया था परंतु संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेटों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि इन मामलों में बोर्ड को राजस्व रिकार्ड में संपत्तियों का मालिक नहीं दिखाया गया था, इसलिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अंतर्गत खाली करवाने/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती थी जब तक कि इन्हें वक्फ बोर्ड के पक्ष में परिवर्तित नहीं किया जाता तथा बोर्ड म्यूटेशन के लिए इन संपत्तियों के अभिलेखों को ढूंढ रहा था। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जैसा कि अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अपेक्षित था।

➢ 31 मार्च 2013 को 195 वक्फ संपत्तियां पट्टे का भुगतान किए बिना 18 सरकारी विभागों, स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों[20] के अतिक्रमणाधीन थी और न वे वक्फ बोर्ड के पट्टेदार बने थे जैसा कि सरकार द्वारा 2009 में निदेश दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने बताया कि (सितंबर 2013) मामले का अनुसरण किया जा रहा था। तथापि, इस प्रकार अनुसरण के परिणाम प्रतीक्षित थे (जनवरी 2014)।

---

[19] व्यक्तियों द्वारा 90.96 हैक्टेयर माप की 718 संपत्तियों तथा सरकार विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा 63.23 हैक्टेयर माप की 195 संपत्तियां।

[20] शिक्षा विभाग (88), स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका (27), जन स्वास्थ्य (5), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) (10), स्वास्थ्य (13), गृह (13), राजस्व (4), पंचायत (20), पशुपालन (4), विद्युत (2), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (2), पुरातत्व, परिवहन, कृषि, पुनर्वास, वित्त, रक्षा तथा भू-वैज्ञानिक प्रत्येक एक।

➢ 1,281 वक्फ संपत्तियों (अंबाला 539, कुरूक्षेत्र 742) के विरूद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था क्योंकि अनेक पट्टाधारियों की मृत्यु हो चुकी थी तथा अनेक ने बोर्ड के आदेश लिए बिना अपने स्तर पर स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया था।

➢ वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 56 में प्रावधान है कि बोर्ड लीज या उप लीज या उसके नवीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय, लीज या उप–लीज के निबंधनों एवं शर्तों की समीक्षा करेगा तथा लीज का नवीकरण तीन वर्ष बाद करना प्रस्तावित करेगा तथा तदनुसार अपना अनुमोदन देगा। यह पाया गया कि 196 वक्फ संपत्तियां नाममात्र राशि पर यानि ₹ एक से ₹ 10 प्रतिमाह के बीच में लीज पर दी गई थी तथा बीस वर्ष से अधिक समय से संशोधित नहीं की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि ऐसे किराया मामलों के निष्पादन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से समायुक्त समितियां गठित की गई थी। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

➢ सरकार ने सभी मंडलीय आयुक्तों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए तथा राज्य में नई वक्फ संपत्तियां पहचानने के लिए वक्फ बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया (7 अप्रैल 2005)। 2005 में जारी आदेश के विरूद्ध जून 2013 तक केवल आठ जिलों में सर्वेक्षण पूर्ण किया गया था तथा सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गई संपत्तियां गजट में अधिसूचित नहीं की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि सर्वेक्षण आयुक्तों से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी तथा नई पहचानी गई संपत्तियों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई।

➢ बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का हरियाणा वक्फ बोर्ड के पक्ष में म्यूटेशन नहीं हुआ था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2013) कि बोर्ड अपने जिला कार्यालयों से आंकड़े एकत्र कर रहा था तथा म्यूटेशन कार्य प्रगति में था।

➢ हरियाणा वक्फ बोर्ड ने केंद्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा के अधीन ''वक्फ मेनेजमैंट सिस्टम ऑफ इंडिया'' को क्रियान्वित नहीं किया परिणामत: परियोजना के लिए ₹ 25.75 लाख (2010 – 12: ₹ 20.20 लाख, 2012 – 13: ₹ 5.55 लाख) के कम्प्यूटरों तथा फर्नीचरों की खरीद करने के बाद भी स्कीम का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि पहले चरण का काम पूरा हो गया था लेकिन वक्फ संपत्तियों के डाटा के वैलिडेशन से संबंधित कार्य अभी प्रगति में था तथा प्रत्येक वक्फ संपत्ति के अधिकार के अभिलेख का डिजीटलाईजेशन का कार्य प्रगति में था।

➢ अपर मुख्य सचिव, गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग से प्राप्त उत्तर (अक्तूबर 2013) रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

आवास विभाग – हाउसिंग बोर्ड हरियाणा

3.8 खुले स्थान का अनियमित आबंटन

एस्टेट मैनेजर, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पानीपत ने अनधिकृत रूप से 663 वर्गगज प्रासंगिक खुले स्थान, इस संबंध में नीति का उल्लंघन करते हुए दो मूल आबंटियों को टुकड़ों में ₹ 3 6.91 लाख (2003 में विद्यमान दरें) में आबंटित किए।

हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने अपनी कालोनियों में कोने वाले भू-खंड के आबंटियों को प्रासंगिक खुले स्थान, जहां जमीन उनके द्वारा अधिकृत और विकसित की गई थी, आबंटित करने का निर्णय लिया (मार्च 1982)। उन मामलों में जहां खुला स्थान कोने वाले भू-खंड की चौड़ाई के बराबर था, ऐसे भू-खंड नीलामी द्वारा बेचे जाने थे। प्रासंगिक खुले स्थान मूल विक्रय मूल्य प्लस ब्याज पर आबंटित किए जाने थे। निर्णय उन मामलों में लागू नहीं था जहां हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या अन्य विभागों से प्लाटेबल एरिया के आधार पर खरीदी थी क्योंकि उन मामलों में प्रासंगिक खुले स्थानों का स्वामित्व अभी भी उस प्राधिकरण के पास था। नीति को इस सीमा तक संशोधित किया गया (अक्तूबर 2003) कि कोने वाले भू-खंड के साथ लगे प्रासंगिक खुले स्थानों को 4 फुट से 6 फुट की चौड़ाई छोड़कर काटा जाना था। यदि, कोने वाले भू-खंड के साथ खुला स्थान कोने वाले प्लॉट से अधिक बचता था तो प्लाट की नीलामी की जानी थी और यदि प्रासंगिक क्षेत्र सामान्य प्लाट क्षेत्र से कम था, तो खुले स्थान को बाजार दर पर आबंटित किया जाना था जो एक समिति द्वारा नियत किया जाना था जिसमें मुख्य अभियंता, मुख्य राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा हाउसिंग बोर्ड के संबंधित कार्यकारी अभियंता/एस्टेट आफिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या संबंधित तहसीलदार शामिल थे।

यह देखा गया कि एस्टेट मैनेजर, पानीपत ने 663[21] वर्गगज के दो प्रासंगिक स्थान मूल आबंटियों को आबंटित किए। पानीपत का मकान नं. 1809 सैक्टर-11-12 भाग-1, 202.05 वर्गगज का प्लाट था और प्लाट के साथ 370 वर्गगज का खुला स्थान था। एस्टेट मैनेजर, पानीपत ने 370 वर्गगज का यह स्थान दिसंबर 2011 और मई 2012 के बीच 2003 में प्रचलित दरों पर आबंटी को मनमाने ढंग से टुकड़ों में ₹ 20.49 लाख में आबंटित कर दिया । इसी प्रकार, उसी सैक्टर में मकान नं 1810, 202.05 वर्गगज के क्षेत्र पर बनाया गया था और उसके साथ 293 वर्गगज का खाली क्षेत्र था जोकि मकान नं. 1810 के आबंटी को फरवरी और मई 2012 के बीच ₹ 16.42 लाख में आबंटित कर दिया गया। यह भी देखा गया कि अन्य चार मामलों में हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवी मंदिर, पानीपत में शाप-कम-फ्लैट संख्या 14 (40.02 वर्गगज), 15 (42.4 वर्गगज), 16 (40.6 वर्गगज) और 17 (38.8 वर्गगज) के पीछे 162 वर्गगज का खुला खाली स्थान उपर्युक्त शाप-कम-फ्लैटों के आबंटियों को, एस्टेट मैनेजर, पानीपत द्वारा अक्तूबर 2006 में आबंटित कर दिया गया।

---

[21] (क) **मकान नं. 1809:** 14 दिसंबर 2011 को ₹ 8.01 लाख के लिए 150 वर्गगज; 15 फरवरी 2012 को ₹ 2.02 लाख के लिए 37 वर्गगज और 18 मई 2012 को ₹ 10.46 लाख के लिए 183 वर्गगज।
(ख) **मकान नं. 1810:** 14 फरवरी 2012 को ₹ 9.62 लाख की लागत पर 174 वर्गगज और 18 मई 2012 को ₹ 6.80 लाख की लागत पर 119 वर्गगज।

प्रासंगिक खुले स्थान का यह आबंटन सही नहीं था क्योंकि हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा संपत्ति का मालिक नहीं था तथा समिति द्वारा बाजार मूल्य के निर्धारण की नीति के विरूद्ध था। प्रासंगिक रूप से ये स्थान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सेवाएं जैसे कि जल आपूर्ति, कचरे का संग्रहण, बिजली ट्रांसफामरों का स्थापन इत्यादि प्रदान करने के लिए रखे गए थे।

आडिट में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) मुख्य प्रशासक, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त मामलों में प्रासंगिक खुले स्थान का आबंटन पार्कों, योजनागत मकानों, खुले स्थानों, सड़कों इत्यादि से संबंधित अनुमोदित ले–आउट प्लान के प्रावधानों के विरूद्ध था तथा वाणिज्यिक संपत्ति के साथ लगे स्थान दुर्घटनाओं से बचाव के लिए विजन प्ले[22] के लिए भी था। आगे यह बताया गया कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा नवंबर और दिसंबर 2012 में नियम 7 के अंतर्गत चार्ज शीट किया गया तथा मामला महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकुला को विस्तृत जांच के लिए भेजा गया (मार्च 2013)।

मामले पर 18 सितंबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार हाउसिंग विभाग के साथ चर्चा की गई जहां यह सूचित किया गया कि इन खुले स्थानों के संबंध में आबंटन/कन्वेयंस डीड को रद्द करने के लिए कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। फाइनल कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग

3.9 सूचना, जनसंपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों के विभाग के कार्यचालन में अनियमितताएं

गैर – अनुमोदित इलैक्ट्रानिक मीडिया को ₹ 11.78 लाख की राशि के विज्ञापन जारी किए गए, कलाकारों के नियोजन पर ₹ 29.01 लाख का अनुचित व्यय किया गया तथा आवश्यकता का आकलन किए बिना पत्रिकाओं को मुद्रित किया गया।

सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग, सरकारी नीतियों तथा गतिविधियों का व्यापक प्रचार करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जिस ढंग से सरकार की प्रणाली कार्य करती है, यह उस बारे में नागरिकों को जानकारी देता है तथा उन्हें उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित करता है तथा नागरिकों में गर्व की भावना को बढ़ाता है। महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामले विभाग के कार्यालय में 2008 – 13 की अवधि के अभिलेखों की अप्रैल तथा जुलाई 2013 के मध्य नमूना – जांच की गई तथा निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:

(i) गैर – अनुमोदित इलेक्ट्रानिक मीडिया को अनियमित विज्ञापन

आडिट संवीक्षा ने दर्शाया कि 'रेडियो मंत्रा' एक इलेक्ट्रानिक मीडिया, व्यापक प्रचार के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु गठित समिति द्वारा अनुमोदित नहीं था। परंतु गैर सूचिबद्ध ''रेडियो मंत्रा'' को विज्ञापन जारी किए गए (फरवरी 2009) जिसके लिए ₹ 11.78 लाख का भुगतान किया गया (मई 2009)। चैनल शेयर, चैनलों के प्रभाव के विश्लेषण की अनुपस्थिति में, लक्षित विचारकों/श्रोताओं तक अभिलक्षित विषयवस्तु या संदेशों का व्यापकतम संभाव्य कवरेज

[22] मोड़ पर स्पष्ट विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए।

का उद्देश्य मितव्ययी ढंग से प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार गैर अनुमोदित चैनल (रेडियो मंत्रा) को भुगतान किया गया ₹ 11.78 लाख का व्यय अनियमित था।

महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क ने सूचित किया (अक्तूबर 2013) कि विज्ञापनों को जारी करते समय मंत्रा का कार्यक्षेत्र तथा आवृति की प्राकृति ध्यान में रखी गई थी, क्योंकि लोगों में इस चैनल की स्वीकृति का महत्वपूर्ण स्तर था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि रेडियो मंत्रा, विज्ञापनों की रिलीज हेतु समिति द्वारा अनुमोदित नहीं था। अत: किया गया व्यय अनुचित था।

(ii) पत्रिकाओं के मुद्रण तथा वितरण में अनियमितताएं

पत्रिकाओं का आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर मुद्रित किया जाना अपेक्षित था। यह नोटिस किया गया कि:

➢ चार पत्रिकाए[23] संवाद सोसायटी के माध्यम से प्राइवेट प्रिंटरों से मुद्रित करवाई गई जो डाकखानों तथा दस्ती तौर पर/व्यक्तियों के माध्यम से वितरित की जानी थी परंतु प्रिंटिड पत्रिकाओं के संबंध में वितरण का उचित अभिलेख मेंनटेन नहीं किए गए जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.9.1: कलैंडर वर्ष 2008 – 12 के दौरान वितरित पत्रिकाओं के विवरण

पत्रिकाओं के नाम	कलैंडर वर्ष में प्रिंटिड प्रतियों की संख्या				
	2008	2009	2010	2011	2012
हरियाणा संवाद	4,42,500	10,20,000	9,86,000	11,60,000	8,68,500
हरियाणा कृषि संवाद	4,10,000	10,00,000	9,73,000	11,60,000	8,68,500
हरियाणा रिव्यू	40,000	2,20,000	2,40,500	2,22,000	1,85,000
हरियाणा संवाद (पंजाबी)	-	-	90,000	1,04,000	40,500

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

➢ उपर्युक्त तालिका ने दर्शाया कि विभिन्न वर्षों के दौरान मुद्रित पत्रिकाओं की संख्या बढ़ गई थी परंतु बढ़ोतरी की आवश्यकता से संबंधित रिकार्ड नहीं बनाया गया था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान महानिदेशक ने पत्रिकाओं के मुद्रण तथा वितरण में भिन्नता से संबंधित तथ्य स्वीकार किए विस्तृत उत्तर में (अक्तूबर 2013) यह कहा गया कि 2011 से स्टाक रजिस्टर का रख-रखाव किया जा रहा है, पत्रिकाओं को नियमित रूप से डिस्पैच किया जा रहा है तथा हरियाणा संवाद (पंजाबी) पत्रिका के अंकों की संख्या रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया नंबर प्राप्त करने के बाद निर्धारित की जाएगी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्टाक रजिस्टर मेंनटेन नहीं किया गया था तथा रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया नंबर प्राप्त किए बिना पत्रिकाओं को नियमित रूप से मुद्रित किया जा रहा था।

[23] (i) हरियाणा संवाद (अंग्रेजी), (ii) हरियाणा कृषि संवाद (iii) हरियाणा संवाद (पंजाबी) तथा (iv) हरियाणा रिव्यू।

(iii) कलाकारों की नियुक्त पर अविवेकपूर्ण व्यय

अपर निदेशक, सूचना तथा जन संपर्क की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुबंध पर दो से पांच वर्ष का अनुभव[24] रखने वाले कलाकारों[25] को नियुक्त करने का निर्णय लिया। अखबारों के माध्यम से मासिक आधार पर 25 कलाकार प्रदान करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई परिणामस्वरूप चार बोलियां प्राप्त हुई। समिति ने न्यूनतम बोलीदाता मैसर्ज लियो फेसिलिटेटर्ज, पंचकूला को अनुबंध देने का निर्णय लिया (नवंबर 2011) तथा इसे 19 दिसंबर 2011 को आयोजित किए जाने वाले प्रेक्टिकल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अपेक्षित मैनपावर से कम से कम तीन गुणा (75 कलाकार) प्रदान करने के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2011)। बोलीदाता ने यह सूचित करते हुए कि उनके पास पर्याप्त कलाकार उपलब्ध नहीं थे, केवल 24 कलाकारों की एक सूची भेजी थी।

आडिट में पाया गया कि प्रत्येक कलाकार के अनुभव का विवरण नहीं रखा गया था तथा कलाकारों का चयन वांछित शर्तो को पूर्ण किए बिना किया गया। समिति की सिफारिश पर, तुरंत प्रभाव से 24 अनुबंधित कलाकार प्रदान करने हेतु न्यूनतम बोलीदाता से अनुबंध किया गया (11 जनवरी 2012)। आगे यह नोटिस किया गया कि नियुक्त कलाकारों ने सितंबर 2012 तक नौ महीनों में केवल छ: कार्यक्रम किए थे। इस अवधि के दौरान उन्हें ₹ 29.01 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए बाजार से पार्टियां भी नियुक्त की गई थी, जिस पर ₹ 1.43 करोड़ का व्यय किया गया था। कलाकारों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तथा उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया (मई/अक्तूबर 2012)। इस प्रकार, अनुबंध आधार पर कलाकारों को नियुक्त करने हेतु किया गया ₹ 29.01 लाख का व्यय अविवेक पूर्ण था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक मामलों ने तथ्य स्वीकार किए तथा बताया कि ये कलाकार, अनुबंध आधार पर कार्यक्रम करने के लिए नियुक्त किए गए थे। विभाग का कार्यभार उनके पास आने के बाद यह महसूस किया गया कि इन कलाकारों की कोई उपयोगिता नहीं थी तथा इसलिए कांट्रेक्ट समाप्त कर दिया गया। विभाग ने आगे उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि कुशल कलाकारों की अनुपलब्धता कार्यक्रम आयोजित करने में मुख्य बाधा थी तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में इन कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि केवल प्रशिक्षित कलाकारों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार, कलाकारों को, नियुक्त करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

(iv) मीडिया कर्मियों को अनियमित पुरस्कार आबंटन

सरकार ने मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए ''हरियाणा मीडिया पुरस्कार'' की स्थापना की (अगस्त 2009)। पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जानी थी। राज्य स्तर के पुरस्कारों के लिए आवेदन राज्य मुख्यालय पर जमा करवाने थे। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा उनकी प्रकाशित सर्वोत्तम चार न्यूज आइटम संलग्न की जानी थी। सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के

---

[24] गायिकाएं, नर्तकियां, नृत्य निर्देशक, कार्यक्रम समन्वयकर्ता, समूह प्रबंधक (महिला), वाद्य वादक: प्रत्येक को पांच वर्ष का अनुभव तथा आभूषण एवं ड्रैस इंचार्ज, मंच सहायक तथा बैक स्टेज सहायक: दो वर्ष का अनुभव।

[25] नर्तक, गायक, नृत्य निर्देशक, वाद्य वादक, स्टेज एटेंडेंटस तथा आभूषण एवं ड्रैस इंचार्ज इत्यादि।

उपरांत पुरस्कारों के लिए सिफारिशें दी जानी थी। समिति के पास, उन आवेदनों, जिनके साथ मदों तथा सेटों की न्यूनतम संख्या संलग्न नहीं थी, पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

यह नोटिस किया गया कि ''विशेष राज्य पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार'' फाइनल करने के लिए गठित समिति ने 16 मीडिया कर्मियों की सिफारिश की जिन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन भी नहीं किया था। जबकि चार मीडिया कर्मियों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उचित निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बगैर 12 मीडिया कर्मियों को ₹ 4.92 लाख (₹ 41,000 प्रत्येक की दर पर) दिए गए जो अनियमित था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क ने बताया कि मीडिया पर्सनज को पुरस्कार देने के लिए निर्णय समिति द्वारा लिया गया था तथा स्कीम को लागू करने में आई कठिनाई को दूर करने के लिए स्कीम में आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन करने के लिए सरकार सक्षम थी। यह भी बताया गया था (अक्तूबर 2013) कि समिति की सिफारिशों पर, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद, उत्कृष्ट पत्रकारों को पुरस्कार दिए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार नहीं दिए गए थे तथा उपयुक्त औचित्य के बिना पुरस्कार आबंटन की प्रथा उच्च वित्तीय व्यवहार के अनुरूप नहीं थी।

उपर्युक्त बिंदु अगस्त 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, सितंबर 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, सांस्कृतिक मामले तथा महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क के साथ इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए तथा एग्जिट कांफ्रेंस के विचार विमर्श ध्यान में रखे गए हैं तथा उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

सिंचाई विभाग

3.10 माइनर के निर्माण पर निष्फल व्यय

सिंचाई विभाग के दो मंडलों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 15.97 करोड़ की लागत से निर्मित एक माइनर अप्रयुक्त रही।

सरकार द्वारा रेवाड़ी जिले के नंदरामपुरबास तथा धारूहेड़ा क्षेत्र के निवासियों को पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹ 13.12 करोड़ की एक परियोजना नंदरामपुरबास माइनर का निर्माण, किलोमीटर 0.00 से 12,973 आफ टेकिंग एट किलोमीटर 6,500 आर. रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी, रालियावास डिस्ट्रब्यूटरी की क्षमता बढ़ाने तथा किलोमीटर 0 से 6,500 किलोमीटर तक रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी की रीमाडलिंग करने सहित अनुमोदित की गई। प्रस्ताव का संशोधन कर इसे ₹ 16.15 करोड़ के लिए आफ टेकिंग प्वाइंट से रिचार्ज चैनल के अंतिम छोर (किलोमीटर 8,100 - आर.), दो पंप हाउसों (किलोमीटर 0 तथा किलोमीटर 4,600 पर) का निर्माण तथा लंबाई किलोमीटर 9,853 कर दिया गया। परियोजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से, 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर सात वर्षों में पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण द्वारा वित्त पोषित की गई थी। परियोजना में, 8,670 हैक्टेयर में सिंचाई की योग्यता के सृजन हेतु प्रावधान किया गया था।

कार्यकारी अभियंता, निर्माण मंडल सं. – 33, रेवाड़ी ने, नवंबर 2007 तथा अगस्त 2008 में एजेंसियों को माइनर के निर्माण कार्य आबंटित किए जो अक्तूबर 2010 में पूर्ण किए गए। बाद में, कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मकैनिकल मंडल, रेवाड़ी ने जुलाई 2009 में पंप हाऊसों के निर्माण का कार्य आबंटित किया जो ₹ 94.26 लाख की लागत पर अक्तूबर 2010 में पूर्ण किया गया। परियोजना पर ₹ 15.97 करोड़[26] का कुल व्यय किया गया।

आडिट के दौरान (मई 2011 तथा फरवरी 2012) यह देखा गया कि अक्तूबर 2010 में परियोजना के पूर्ण होने के बाद टेस्टिंग के सिवाय माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया तथा ढांचे अप्रयुक्त पड़े थे। आडिट में इंगित किए जाने के बाद, कार्यकारी अभियंता, कंस्ट्रक्शन मंडल ने, माइनर अगस्त 2013 में कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2, रेवाड़ी को सौंप दी। कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2 रेवाड़ी ने देखा (अगस्त 2013) कि तट की ऊपर की चौड़ाई डिजाइन की गई चौड़ाई से कम थी, कई स्थानों पर आउटर साइड स्लोपस अपर्याप्त थे, तल सिल्टिड था तथा घास/झाड़ियां उगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, भूमिगत सुदृढ़ सीमेंट कंकरीट पाइप लाइनें बिछाने के लिए अधिगृहीत 11 फीट चौड़ी भूमि पट्टी पूर्ण रूप से अतिक्रमित थी तथा इस पर फसल उगी हुई थी। इस प्रकार, माइनर के प्रयोग न करने के कारण माइनर के निर्माण पर किए गए ₹ 15.97 करोड़ के व्यय ने लक्ष्यित गांवों को सिंचाई तथा पेयजल प्रदान करने के अभीष्ट लाभ नहीं दिए थे।

मामला जून 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी, मामले पर, 14 अक्तूबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग के साथ चर्चा की गई थी। जिसमें प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि अगस्त 2013 में माइनर में पानी छोड़ दिया गया था तथा आश्वासन भी दिया कि इस संबंध में आडिट को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। 24 अक्तूबर 2013 को विभागीय अधिकारियों के साथ मौके का दौरा करने के बाद कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2, रेवाड़ी ने उत्तर दिया कि भूमि तट की ऊपर की चौड़ाई कुछ सीमा तक कटी हुई थी, पाइप की पुलियों के लिए ड्राइंग्ज तैयार की गई हैं तथा अनुदान प्रक्रिया अधीन थे, माइनर पर, भूमि तटों को उठा कर आवाजाही बंद कर दी गई थी, आउटलेटस संस्वीकृत नहीं किए गए थे तथा दो दिन अर्थात् 11 और 12 अक्तूबर को जल माइनर के अंतिम सिरे तक पहुंच गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केवल दो दिनों को छोड़कर गेज स्लिपस तथा पंप हाऊसों की लॉग बुक्स, उत्तर के समर्थन में आडिट को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त टूटे हुए तटबंधो तथा पुलियों के निर्माण के बिना माइनर को पूर्ण रूप से चालू करना असंभव था। आउटलेटस की स्वीकृत न देना भी यह दर्शाता है कि माइनर का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया गया। अत: परियोजना अक्तूबर 2010 में निर्मित होने के बाद से उपयोग में नहीं लाई गई थी।

---

[26] भूमि की लागत: ₹ 6.18 करोड़; सिविल वर्क्स: ₹ 8.85 करोड़ तथा पंप हाऊस एवं उनका विद्युतिकरण: ₹ 0.94 करोड़।

3.11 पंचकुला के पास कौशल्या नदी पर बांध के निर्माण में अनियमितताएं और कमियां

₹ 208.37 करोड़ की लागत से निर्मित कौशल्या बांध द्वारा पंचकुला कस्बे को पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। पूरक अनुबंध पर जमानत की कटौती न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था और लिक्यूडेटड डैमेज नहीं लगाए गए थे।

सरकार ने पंचकुला कस्बे[27] को पेयजल की आपूर्ति, भूमि जल के रिचार्ज, अस्थाई बाढ़ों के नियंत्रण, पर्यटन और जलाशय क्षेत्र में मछली पालन को प्रोत्साहन के विचार से ₹ 51.37 करोड़ की लागत पर पिंजौर के पास कौशल्या नदी पर एक मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की (दिसंबर 2005)। भूमि की लागत, नदी के दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे निवासीय सैक्टरों के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए बांध की ऊंचाई और ऊपरी चौड़ाई में वृद्धि के कारण प्रशासनिक अनुमोदन ₹ 217 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया (सितंबर 2011)। सिंचाई विभाग ने ₹ 208.37 करोड़ की लागत पर 34 मीटर ऊंचाई और 30 मीटर ऊपरी चौड़ाई के साथ मिट्टी के बांध का निर्माण किया (मई 2013 तक)।

कार्यकारी अभियंता, घग्गर डैम मंडल, पंचकुला के आडिट के दौरान निम्न अनियमिताएं देखी गई:

(i) उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

बांध, पंचकुला कस्बे को पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2013 तक ₹ 43.25 करोड़ का व्यय करके पंचकुला कस्बे को पेयजल प्रदान करने के लिए वाटर वर्क्स स्ट्रक्चरज निर्मित किए थे और पाईप लाइनें बिछाई थी परंतु कौशल्या बांध के जलाशय में पानी की उपलब्धता न होने के कारण सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी। इस प्रकार, ₹ 208.37 करोड़ का भारी व्यय करने के बावजूद बांध के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2013) के दौरान, प्रधान सचिव ने सूचित किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 8 क्यूसिक/प्रतिदिन की आपूर्ति करके आंशिक उपलब्धि की गई थी। परंतु तथ्य रहता है कि परियोजना से अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि अपेक्षित मात्रा 40.3 क्यूसिक/प्रतिदिन (16 जुलाई से 30 सितंबर) तथा 18.4 क्यूसिक प्रतिदिन (1 अक्तूबर से 15 जुलाई) थी। जून 2013 में जलाशय में जल का स्तर 450 मीटर तल स्तर के विरूद्ध 456.90 मीटर के उच्च स्तर पर था। जबकि जहां से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल की आपूर्ति की जानी थी वह आउटलेट 460 मीटर पर था। इस प्रकार, जल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आपूरित नहीं किया जा सकता था।

---

[27] भरने की अवधि (16 जुलाई से 30 सितंबर) के दौरान 40.3 क्यूसिक और खाली करने की अवधि (1 अक्तूबर से 15 जुलाई) के दौरान 18.4 क्यूसिक।

(ii) एजेंसी के विरूद्ध निर्धारित क्षतिपूर्ति का न लगाया जाना

कौशल्या बांध के निर्माण तथा इसके संबंद्ध कार्यों का आबंटन मार्च 2008 में एक एजेंसी को किया गया जो कि 30 जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। निर्धारित समयावधि में कार्य के समापन न होने के लिए इकरारनामे की शर्त 39.3 के अनुसार कार्य के मूल्य/अंतिम कांट्रैक्ट मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एजेंसी के विरूद्ध लिक्यूडेटड डैमेज लगाए जाने थे। समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2011 कर दी गई थी परंतु एजेंसी बढ़ाई गई समय सीमा में भी कार्य पूर्ण करने में विफल रही तथा कार्य जून 2012 में पूर्ण किया गया। विभाग ने न तो समयसीमा बढ़ाई न ही एजेंसी के विरूद्ध ₹ 11.29 करोड़ (₹ 112.99 करोड़ की एग्रीमेंट राशि का 10 प्रतिशत) का लिक्यूडेटड पेनल्टी लगाई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि मामला विचाराधीन था और समय वृद्धि की मात्रा तथा लिक्यूडेटड डैमेजस का निर्णय किया जाना अभी बाकी था। तथापि, तथ्य रह जाता है कि कार्य के समापन की तिथि से 18 महीने बीत जाने के बाद भी पेनल्टी की प्रमात्रा का निर्णय नहीं किया गया था।

(iii) कम जमानत की कटौती करके ठेकेदार को अदेय लाभ

लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 13.11.1 में प्रावधान है कि प्रत्येक रनिंग बिल की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर जमानत की कटौती सभी रनिंग बिलों से की जाएगी जब तक टेंडर मूल्य का 5 प्रतिशत तक जमानत राशि न पहुंच जाए।

मार्च 2008 में, बांध के निर्माण का कार्य ₹ 52.99 करोड़ की एग्रीमेंट राशि पर एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। बाद में, कार्य में वृद्धि के कारण जून 2009 में ₹ 60 करोड़ का एक पूरक एग्रीमेंट करके इसे ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। यह देखा गया कि केवल ₹ 52.99 करोड़ के इकरारनामे के लिए ठेकेदार के रनिंग बिलों से जमानत के तौर पर ₹ 2.64 करोड़ की राशि कटौती की गई और ₹ 60 करोड़ के पूरक कांट्रैक्ट मूल्य से जमानत की कटौती नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य के विरूद्ध जमानत कम करने से ₹ तीन करोड़ का ठेकेदार को अदेय लाभ हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि जमानत की कटौती एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एग्रीमेंट की राशि ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए बढ़ाई गई राशि से भी जमानत वसूलनीय थी।

उपर्युक्त बिंदु जुलाई 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, 14 अक्तूबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग के साथ बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए तथा एग्जिट कांफ्रेंस के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.12 अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय

सिरसा जिले में नाथुसारी चौपटा में ₹ 74.32 लाख खर्च करके निर्मित वाटर वर्क्स, इनलेट चैनल के निर्माण न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

लोक निर्माण विभाग संहिता का अनुच्छेद 10.1.3 प्रावधान करता है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित फील्ड अवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए साईट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। संहिता के अनुच्छेद 10.7.2 में आगे यह प्रावधान है कि जल आपूर्ति स्कीम का कार्य प्रारंभ करने से पहले विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय स्कीम का औचित्य, तकनीकी, वित्तीय और अन्य मानदंडों से जांचना अपेक्षित है।

स्टेट सेनिटरी बोर्ड, हरियाणा ने, सिरसा जिले में नाथुसारी चौपटा में गांव निवासियों की मांग पर पृथक वाटर वर्क्स के लिए ₹ 85.30 लाख का अनुमान अनुमोदित किया (मई 2006)। वाटर वर्क्स के लिए नहरी जल कुटियाना डिस्टरीब्यूटरी से प्रस्तावित किया गया जिसके लिए 7,200 फुट लंबा 12 इंच आंतरिक डाया के सीमेंट कंकरीट पाईप चैनल का प्रावधान किया गया। चैनल का निर्माण वर्तमान सड़क और आम रास्तों के साथ प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। कार्य[28] नौ मास की समापन अवधि, जोकि नवंबर 2007 तक की थी, के साथ ₹ 69.75 लाख की अनुबंध राशि पर फरवरी 2007 में एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था। ठेकेदार ने फरवरी 2009 तक ₹ 50 लाख का कार्य पूर्ण कर दिया और शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया क्योंकि किसानों ने इनलेट चैनल बिछाने के लिए नि:शुल्क भूमि देने से मना कर दिया था। जुलाई 2010 तक कार्य पर ₹ 74.32[29] लाख का कुल व्यय किया गया और कार्य फरवरी 2009 से अधूरा पड़ा था।

तत्पश्चात्, स्टेट सेनिटरी बोर्ड ने ₹ 1.30 करोड़ का एक संशोधित अनुमान अनुमोदित किया (जून 2011), जिसकी तकनीकी क्लीयरेंस अभी प्रतीक्षित थी। संशोधित अनुमान में, भूमि की उपलब्धता न होने और कम बहाव के कारण नहरी पानी का स्रोत बदलकर कुटियाना डिस्ट्रीब्यूटरी से बारूवाली डिस्ट्रीब्यूटरी कर दिया गया और नए स्रोत से इनलेट चैनल बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया। आडिट में इंगित किए जाने के बाद 24 जुलाई 2013 को कार्यकारी अभियंता ने जिला राजस्व अधिकारी, सिरसा को धारा-4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

यह देखा गया कि उपर्युक्त कार्य, कोई औचित्य अध्ययन करवाए बिना तथा इनलेट चैनल के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, किया गया था, जिसके कारण कार्य फरवरी 2009 से अधूरा तथा परित्यक्त पड़ा था। इस प्रकार, योजना में खामी से ₹ 74.32 लाख के निवेश के बावजूद निवासियों को स्कीम के अपेक्षित लाभ न मिलने में स्कीम अनुपयोगी थी।

---

[28] 12 इंच आंतरिक डाया की सीमेंट कंकरीट पाईप चैनल उपलब्ध कराना तथा बिछाना, एक भंडारण तथा सेडिमेंटेशन टैंक, नहरी जल खींचने का कुआं, पंप चैंबर, तीन सीमेंट कंकरीट फिल्टर बैडस, शुद्ध जल टैंक, शुद्ध जल खींचने वाला कुंआ, बाहरी दीवार, लोहे का गेट, हैड वर्क्स पर पाइपलाईन, मशीनरी की आपूर्ति, प्रतिस्थापन तथा चालू अवस्था में करना इत्यादि।

[29] ठेकेदार का भुगतान = ₹ 50 लाख तथा सामग्री की लागत ₹ 24.32 लाख।

प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपने उत्तर में सूचित किया (जुलाई 2013) कि प्रस्तावित इनलेट चैनल भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज जिला राजस्व अधिकारी सिरसा के द्वारा तैयार किए जा रहे थे तथा भूमि अधिग्रहण के बाद इनलेट चैनल का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि योजनागत कमी के कारण ₹ 74.32 लाख व्यय करके निर्मित वाटर वर्क्स के ढांचों से अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका।

लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)

3.13 अपूर्ण कार्य

निर्माण स्थल अनुपलब्धता, कार्यों के ड्राईंग तथा डिजाइन समय पर उपलब्ध न करवाने तथा योजनागत खामी के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी हुई तथा अपूर्ण कार्यों पर ₹ 2005.18 करोड़ का व्यय निष्फल, बिना किसी लाभ के किया गया।

31 मार्च 2013 को लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्य तिथि तक 76 भवन निर्माण कार्य पूर्ण[30] नहीं किए गए थे। इनमें से 52 निर्माण कार्यों के रिकार्ड के नमूना – जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई:

➢ निर्माण स्थल से बाधाएं जैसे कि बिजली की लाइनें, अतिक्रमण, भूमि विवाद, पेड़ इत्यादि हटाए बिना जैसा कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 13.12.1 तथा 16.1.1 के अंतर्गत अपेक्षित था, बारह भवन निर्माण कार्य[31] जिन पर ₹ 62.20 करोड़ का व्यय अप्रैल 2013 तक किया गया था, आबंटित किए गए थे। बाधाएं निर्माण कार्य के आबंटन से 4 तथा 50 मास के बीच श्रृंखलित देरी के बाद हटाई गई। एक मामले[32] में ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि ठेकेदार को प्रदान की गई भूमि पंचायत की जमीन थी जिस पर ₹ 6.24 लाख का किया गया व्यय व्यर्थ हो गया। इससे परियोजना पूर्ण करने में 12 मास तक की देरी हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013) प्रधान सचिव ने स्वीकारा कि कई बार निर्माण कार्य को गति देने के लिए स्पष्ट निर्माण स्थल की उपलब्धता से पहले निर्माण कार्य आबंटित किए गए थे तथा कुछ मामलों में, विभिन्न विभागों से विभिन्न क्लीरेंसिस प्राप्त करने के लिए तथा उपयोगी सेवाओं को बदलने हेतु समय लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोडल प्रावधानों के अनुसार, निर्माण कार्य स्पष्ट निर्माण स्थल की उपलब्धता के पश्चात् ही आरंभ किया जाना चाहिए।

➢ 25 भवन निर्माण कार्यों के मामले में जिस पर मई 2013 तक ₹ 111.74 करोड़ खर्च किए गए, ठेकेदारों को आबंटन के 4 से 38 मास के बीच की देरी के बाद ड्राईंग्स प्रदान किए

---

30 जहां निर्माण कार्य या तो छोड़ा गया था अथवा किसी स्टेज पर रोका गया था अथवा प्रगति बहुत धीमी थी तथा निश्चित लक्ष्य तिथि के बाद पूर्ण नहीं किया गया था, वह कार्य अधूरा माना गया है।

31 पांच सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दो राजकीय कालेज, एक लघु सचिवालय तथा 50 बिस्तर वाला एक सरकारी अस्पताल।

32 प्रान्तीय मंडल, बहादुरगढ़ में बादली में राजकीय कालेज का निर्माण कार्य।

गए जो हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 10.6.12 की अपेक्षा के विरूद्ध थे जो प्रावधान करता है कि ड्राईग ठेका देते समय प्रदान किया जाना चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013), प्रमुख अभियंता ने कहा कि उपभोक्ता विभागों ने निर्माण कार्य के दौरान डिजाइन बदल दिए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को कोडल प्रावधानों के अनुसारन उपभोक्ता विभागों से डिजाइनों का लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

➢ लोक निर्माण विभाग संहिता का अनुच्छेद 10.9.3 प्रावधान करता है कि आंतरिक सेवाएं, मुख्य/पहुंच सड़क, चारदीवारी, फेंसिज, गेटवे, आंतरिक सड़क तथा रास्ते तथा भूमि विकास सहित भवन के सभी घटक, भवन निर्माण कार्य के अनुमान में शामिल किए जाने चाहिए तथा मुख्य भवन के साथ निर्माण किया जाना चाहिए। 12 भवन निर्माण कार्य जिस पर ₹ 31.24 करोड़ खर्च किया गया था, परियोजनाओं को लघु कार्यो में विभाजित करके टुकड़ों में निष्पादित किया गया। बांध निर्माण कार्य, मुख्य निर्माण कार्यो के साथ आबंटित नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप, परियोजनाएं अपूर्ण रही।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि सड़कों/पार्किंग के लिए टैंडर अन्तिम चरण में आमंत्रित किए जाते थे परंतु गत समय में समस्या उत्पन्न होने पर, अब सभी घटक मुख्य टैंडर का हिस्सा बनाए जाते हैं।

➢ संहिता का अनुच्छेद 13.18.1 (डी) प्रावधान करता है कि टैंडर की स्वीकृति कोई काऊंटर प्रस्ताव किए बिना, निरपेक्ष होनी चाहिए, प्रान्तीय मंडल, नूंह में 'मेवात जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पधेनी के निर्माण कार्य के लिए मई 2010 में निविदाएं पुन:आमंत्रित की गई क्योंकि पहली बार केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी। ₹ 1.36 करोड़ पर पुन: प्राप्त अकेली निविदा, हरियाणा अनुसूची दरों की जमा सीलिंग प्रीमियम से 28.84 प्रतिशत अधिक थी तथा विभाग ने इस शर्त पर, कि संपूर्ण अधिकता हरियाणा अनुसूची दरों जमा सीलिंग प्रीमियम तथा विश्लेषणात्मक लागत के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।' निर्माण कार्य दिसंबर 2010 में आबंटित किया गया। एजेंसी ने लगाई गई एकपक्षीय शर्त को स्वीकार नहीं किया। निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई (अगस्त 2012) तथा कार्य दूसरी एजेंसी को ₹ 1.58 करोड़ की लागत पर आबंटित किया गया जिससे कार्य को पूर्ण करने में 26 माह से अधिक की देरी हुई तथा परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ (₹ 1.58 करोड़ - ₹ 1.36 करोड़) की अतिरिक्त देयता हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने कहा कि विभाग ने निर्माण कार्यो के आबंटन के लिए अधिकतम सीलिंग नियत की थी जिसके कारण एजेंसी को उसी सीमा के भीतर निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए कहा गया था। उत्तर कोडल प्रावधानों के विरूद्ध था।

➢ अनुच्छेद 13.18.1 आगे प्रावधान करता है कि निविदा की स्वीकृति, निविदा की वैधता अवधि के भीतर की जानी चाहिए। प्रान्तीय मंडल, नूंह में, 18 जून 2010 को 'जमालगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य' हेतु ₹ 121.60 लाख पर प्राप्त अकेली निविदा, 90 दिन की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद दिसंबर 2010 में फाइनल की गई तथा एजेंसी ने वैधता अवधि को बढ़ाने से मना कर दिया। इसके पश्चात, निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई जो उसी एजेंसी को ₹ 131.40 लाख पर आबंटित किया गया (फरवरी 2011)। इससे ₹ 9.80 लाख की अतिरिक्त लागत के साथ निर्माण कार्य की पूर्णता में आठ माह की देरी हुई।

उपर्युक्त बिंदु जुलाई 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, बिंदुओं पर 11 अक्तूबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में प्रधान सचिव, लोक निर्माणविभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ चर्चा की गई थी तथा एग्जिट कांफ्रेंस के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.14 विविध लोक निर्माण अग्रिम

₹ 213.18 करोड़ विविध लोक निर्माण अग्रिमों में बकाया थे जो कि मुख्यतः सामग्री/सेवा की प्राप्ति के बाद भी, अग्रिमों के असमायोजन ₹ 127.62 करोड़, ठेकेदारों से ₹ 27.51 करोड़ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से ₹ 1.55 करोड़ की वसूली न करने के कारण थे।

विविध लोक निर्माण अग्रिम एक ट्रांजिट्री सस्पेंस हैड है जिसके अंतर्गत मदों को अस्थाई तौर पर दर्ज किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति से वास्तविक वसूली या संबद्ध खाता शीर्ष में हस्तांतरित कर समायोजित किया जाता है। मार्च 2008 में विविध लोक निर्माण अग्रिम में भारी बकाया शेष थे जिसके लिए 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 4.5.2 में उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की (मार्च 2012) कि विभागों को लंबित राशि के शीघ्र समायोजन के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तथापि, सभी तीन विभागों[33] के मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्च 2013 के मासिक खातों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के विरूद्ध ₹ 213.18 करोड़ की राशि बकाया पड़ी थी। विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत भारी बकाया शेषों के संचयन के कारणों की जांच के लिए, सभी तीन विभागों के 201 मंडलों में से 74[34] मंडलों का चयन किया गया। तीनों विभागों के मार्च 2008 के साथ-साथ मार्च 2013 को बकाया शेषों की स्थिति को **तालिका 3.14.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14.1: विविध लोक निर्माण अग्रिम के बकाया शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सिंचाई	भवन एवं सड़क	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कुल	सिंचाई	भवन एवं सड़क	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कुल	वृद्धि
	मार्च 2008 को				मार्च 2013 को				
विभाग में स्थिति	94.74	41.95	44.16	180.85	31.81	131.67	49.70	213.18	32.33
नमूना – जांच किए गए 74 मंडलों की स्थिति	8.37	24.85	33.61	66.83	29.21	109.88	43.68	182.77	115.94

(स्रोतः **मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक खाते**)

31 मार्च 2013 को नमूना – जांच की गई 74 मंडलों में 1,660 मदों के विरूद्ध ₹ 182.77 करोड़ बकाया था। इनमें से ₹ 26.07 करोड़ से आवेष्टित 1,080 मदें दस वर्षों से भी अधिक पुरानी थी। 74 मंडलों के अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां नोटिस की गई:

---

[33] (i) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) (ii) सिंचाई विभाग तथा (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

[34] भवन एवं सड़क.: 17, सिंचाई: 35, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:22

(i) बकाया शेषों का समायोजन न करना

नमूना-जांच किए गए मंडलों में नोटिस किया गया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम में बकाया दर्शाए गए (31 मार्च 2013) ₹ 182.77 करोड़ में से ₹ 127.62 करोड़, आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्मों तथा अन्य विभागों के विरूद्ध बिजली प्रभारों, भूमि अधिग्रहण इत्यादि के लिए किए गए भुगतान के असमायोजन के कारण थे, जैसा कि **तालिका 3.14.2** में वर्णन किया गया हैं।

तालिका 3.14.2:असमायोजन के कारण विविध लोक निर्माण अग्रिम का संचय

मंडल का नाम	31 मार्च 2013 को बकाया शेष (₹ करोड़ में)	अग्रिम की तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	असमायोजन के कारण
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)				
प्रांतीय मंडल, पानीपत	81.32	रनिंग अकाऊंट शेष	विभाग के सभी मंडलों के लिए बिटुमन का प्रापण	सामग्री प्राप्त की गई परंतु विविध लोक निर्माण अग्रिम में, विभाग के अंदर विभिन्न मंडलों के बीच खातों के असमायोजन के कारण समायोजित नहीं की गई।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पंचकूला	16.12	मार्च 2002	बकाया बिजली प्रभारों का भुगतान	विभाग के विभिन्न मंडलों के बीच खातों का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पंचकूला	5.30	1992-93	बकाया बिजली प्रभारों का भुगतान	विभाग के विभिन्न मंडलों के बीच खातों का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या-I रेवाड़ी	3.82	जून 2010	बिजली प्रभारों का भुगतान	उप-मंडल कार्यालयों में समन्वय के अभाव के कारण विभिन्न वाटर वर्क्स के विरूद्ध भुगतान का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-I भिवानी, डी.एंडपी. सोनीपत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकुला	0.57	मार्च 2004 एवं जुलाई 2011 के मध्य	सीमेंट का प्रापण	एल.ओ.सी. की उपयोगिता दर्शाते हुए ड्राफ्ट तैयार किए गए थे परंतु सीमेंट वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया।
सिंचाई विभाग				
वाटर सर्विस मंडल-I एवं II, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ कनाल व ाटर सर्विसज मंडल, चरखी दादरी	15.72	मार्च 2010 से जून 2011	भूमि का अधिग्रहण	भूमि अवार्ड जनवरी 2010 से अक्तूबर 2011 के मध्य दिए गए परंतु राशियां को विविध लोक निर्माण अग्रिम में समायोजित नहीं किया गया।
वाटर सर्विसीज मंडल, जगाधरी	4.77	फरवरी 2009 एवं दिसंबर 2011	शाहपुर-नलवी फीडर पर रेलवे पुल के सुदृढ़ सीमेंट कंकरीट बाक्स का निर्माण	समायोजित नहीं किए गए क्योंकि रेलवे से कार्य पूर्ण करवाने में विभाग विफल रहा।
कुल	**127.62**			

(स्रोतः संबंधित मंडलों द्वारा आपूरित सूचना)

आडिट द्वारा इंगित किए जाने के बाद दो मंडलों ने ₹ 12.29 करोड़[35] समाशोधित कर दिए। बाकि मदों पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(ii) ठेकेदारों से पेनल्टी की अवसूली

315 ठेकेदारों के विरूद्ध ₹ 27.51 करोड़ की राशि निर्धारित क्षतियों, उनके जोखिम एवं लागत पर निष्पादित, छोड़े गए कार्यों की लागत इत्यादि के कारण बकाया थी। इनमें से, 209 मामलों में ₹ 7.54 करोड़ पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। आडिट में इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने सूचित किया (जून तथा जुलाई 2013) कि ये मदें बिलों, आरबीट्रेशन तथा कोर्ट मामलों के फाइनल न होने, मंडलों/परिमंडल में एजेंसियों के काम न करने के कारण बकाया थे तथा पुराने मामलों में ठेकेदारों/एजेंसियों के पते मालूम नहीं थे। तथ्य, फिर भी रहता है कि विभागों द्वारा, या तो वास्तविक वसूली/समायोजन करके या सरकार से शेषों को राइट आफ करवाकर विविध लोक निर्माण अग्रिम शेषों को समाशोधित करने के लिए ठोस प्रयत्न नहीं किए गए थे।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संख्या – 4, रोहतक ने जनवरी तथा अप्रैल 2009 में तीन कार्यों[36] के पूर्ण न होने के कारण देय लिक्विडेटड डैमेजस के रूप में एजेंसी[37] से वसूली के अभाव में, विविध लोक निर्माण अग्रिम में ₹ 12.17 करोड़ रख दिए। सरकार ने राशि की वसूली हेतु कोर्ट में सिविल मुकद्दमा दायर करने की अनुमति मई 2013 में प्रदान कर दी, मुकद्दमा अभी भी दायर किया जाना शेष था (फरवरी 2014)।

(iii) अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली न करना

सामग्री की कमी, अप्राधिकृत भुगतान, अधिक भुगतान, टेलीफोन शुल्क इत्यादि के रूप में तीन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 522 मामलों में ₹ 1.55 करोड़ की राशि बकाया थी। 522 मामलों में से, ₹ 0.90 करोड़ से आवेष्टित 479 मामले मार्च 2008 से पहले की अवधि से संबंधित थे। इस प्रकार, विभागों ने बकाया राशि की वसूली के लिए संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कार्यवाही नहीं की थी।

(iv) अन्य कमियां

➢ 18 मंडलों में 67 मदों के विरूद्ध ₹ 1.40 करोड़ के ऋणात्मक शेष मुख्यतया विविध लोक निर्माण अग्रिम में प्राप्तियों को गलत क्रेडिट कर देने, सामग्री की अधिक प्राप्ति दर्शाने इत्यादि के कारण थे। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) ने सूचित किया (अक्तूबर 2013) कि इस प्रकार की मदों की जांच की जा रही है तथा उचित समायोजन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

---

35 लोहारू वाटर सर्विसिज (मैकैनिकल) मंडल, चरखी दादरी ने अगस्त 2013 में ₹ 4.34 करोड़ समाशोधित किए जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के विरूद्ध बकाया दिखाए गए थे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकुला ने सितंबर 2013 में ₹ 7.93 करोड़ समाशोधित किए जो मैसर्ज भूषण स्टील तथा मैसर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा इत्यादि के विरूद्ध बकाया दिखाए गए थे।

36 (i) नई जिला जेल, रोहतक (ii) पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ओ.पी.डी. का निर्माण (iii) पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ट्रॉमा केंद्र, मदर/शिशु अस्पताल तथा दंत चिकित्सालय के विस्तार का निर्माण।

37 मैसर्ज त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन डेवलपर तथा विल्डर्ज, नोएडा।

➢ लेखा संहिता-वाल्यूम-III के अनुच्छेद 57 के प्रावधानों की अनुपालना न करते हुए, पांच मंडलों में भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को दिए गए अग्रिम भुगतान को अनियमित रूप से, विविध लोक निर्माण अग्रिम में रखने के बजाय संबद्ध कार्यो को अनियमित रूप से प्रभारित किया जा रहा था तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा रिफंड किए गए ₹ 7.42 करोड़ को संबद्ध कार्यो पर किए गए व्यय को कम करने के बजाय, विभाग की विविध प्राप्तियों के रूप में जमा करवा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े बढ़ने के साथ-साथ कार्यो पर व्यय भी बढ़ गया।

➢ मॉनीटरिंग की प्रणाली प्रभावी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि कार्यकारी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें मात्र शेषों में वृद्धि या कमी को दर्शाती हैं, भारी राशि वाली पुरानी मदों का निपटान नहीं किया गया तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। केवल सिंचाई विभाग में एक मॉनीटरिंग सैल स्थापित किया गया था, तिमाही प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ फील्ड स्टाफ के साथ बैठकें आयोजित करके स्थिति की समीक्षा की जा रही थी जिससे विविध लोक निर्माण अग्रिम को सीमित करने में काफी सहायता मिली।

मामला सरकार को अगस्त 2013 को भेजा गया परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (सितंबर तथा अक्तूबर 2013) प्रधान सचिव, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क), सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सुनिश्चित किया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम में बकाया राशि वसूल/समायोजन करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे जिसके लिए सभी फील्ड कार्यालयों को इन बकाया राशियों के प्रति सुग्राहित बनाया गया था तथा बकाया राशियों की वसूलियां/समायोजन करने हेतु तुरंत कार्यवाही करने बारे निर्देश दिए गए थे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.15 लाभग्राहियों को वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी

लाभग्राहियों को ₹ 238.37 करोड़ की वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी थी। पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुरूप प्लाट/वाणिज्यिक स्थल विस्थापित भू-स्वामियों को आबंटित नहीं किए गए थे तथा सामुदायिक विकास ढांचे का निर्माण नहीं किया गया था।

सरकार ने दिसंबर 2007 में भूमि अधिग्रहण से विस्थापित भू-स्वामियों के लिए पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति बनाई जो कि 5 मार्च 2005 से लागू की गई। नीति के अनुसार, सामान्य भूमि प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 33 वर्षो की अवधि के लिए वार्षिकी भृति ₹ 15,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष (7 दिसंबर 2010 से ₹ 21,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष संशोधित की गई) ₹ 500 प्रतिवर्ष की निश्चित राशि की वृद्धि के साथ (सितंबर 2010 से ₹ 750 संशोधित की गई) देय थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र/टेक्नोलोजी शहरों/पार्को के स्थापन के लिए अधिगृहित भूमि के मामले में ₹ 30,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष (सितंबर 2010 से ₹ 42,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष संशोधित की गई) की दर पर वार्षिकी भृति ₹ 1,000 प्रतिवर्ष (सितंबर 2010 से ₹ 1,500 संशोधित की गई) की वृद्धि के साथ भुगतान योग्य थी। पिछले कलैंडर वर्ष के दौरान अधिगृहीत भूमि के संबंध में वार्षिक भृति आगामी वर्ष के जनवरी माह के दौरान देय हो जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के कार्यालयों में 2005 से 2013 की

अवधि के लिए रिकार्डों की फरवरी से जुलाई 2013 के दौरान नीति के कार्यान्वयन के विश्लेषण के लिए नमूना – जांच की गई। निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

(i) पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति

पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति और भूमि के अधिग्रहण में वार्षिकी का भुगतान **तालिका 3.15.1** में चित्रित की गई हैं:

तालिका 3.15.1: पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	अधिग्रहण करने वाली अथारिटी	अधिगृहीत की गई भूमि	अधिग्रहण की अवधि	देय वार्षिकी (₹ करोड़ में)	भुगतान की गई वार्षिकी (₹ करोड़ में)	शेष देय (₹ करोड़ में)	भुगतान न करने के कारण
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम	23,198 एकड़ 4 कनाल 12 मरला	2005-06 से 2012-13	170.19	83.41	86.78	भू-स्वामियों द्वारा फार्मों का न भरा जाना, लघु भूमि क्षेत्र वाले, दावाकर्ताओं का वार्षिक भृति की राशि तुच्छ होने के कारण आगे न आना, कोर्ट केस और विवादास्पद भूमि के मामले।
2.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	18,105.31 एकड	2006-07 से 2012-13	166.30	73.33	92.97	लाभग्राहियों द्वारा भुगतानों के सीधे हस्तांतरण के लिए बैंक विवरणों का प्रस्तुत न किया जाना और वार्षिकी की तुच्छ राशि इत्यादि।
3.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1,316 एकड़ 6 कनाल 17 मरला	2005-06 से 2012-13	1.82[38]	1.55	0.27	लघु भू-संपत्ति स्वामी वार्षिक भृति के भुगतान प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे।
4.	विद्युत क्षेत्र (ह.वि.उ.नि.लि.[39] और ह.वि.प्र.नि.लि.[40])	415 एकड़	2006-12	1.56	1.33	0.23	मामला निर्णयाधीन, संबंधित मालिक/व्यक्ति वार्षिक भृति का भुगतान एकत्र करने के लिए टुकड़ों में आ रहे थे ।
5	सिंचाई विभाग	7,346 एकड़	2005-13	83.41	25.49	57.92	वार्षिकी की तुच्छ राशि, भू-स्वामियों से आवेदन फार्मों की अप्राप्ति, पारिवारिक विवाद और मूल दावेदार की मृत्यु।
	कुल	**50,381 एकड़ 3 कनाल तथा 9 मरला**		**423.28**	**185.11**	**238.17**	

(स्रोतः आडिट की गई इकाइयों द्वारा रखे गए रिकार्ड से एकत्रित डाटा)

भुगतान के लिए देय ₹ 423.28 करोड़ की वार्षिक भृति में से केवल ₹ 185.11 करोड़ के भुगतान 2012-13 तक किए गए थे और शेष ₹ 238.17 करोड़ अभी भी हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,

---

[38] पांच मार्केट कमेटियों (i) अंबाला कैंट (ii) अंबाला सिटी (iii) गन्नौर (iv) फतेहाबाद और (v) टोहाना के संबंध में वार्षिकी के आंकड़ें इन बाजार समितियों से एकत्र करने के बाद शामिल किए गए क्योंकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास समेकित डाटा उपलब्ध नहीं था।

[39] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[40] हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विद्युत सैक्टर और सिंचाई द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि से विस्थापित लोगों को भुगतान किए जाने देय थे।

(ii) वार्षिक भृति की कम्यूटेशन न करना

पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुच्छेद 4 (vii) में प्रावधान था कि उन मामलों में जहां भू-स्वामी/सहभागी के संबंध में अधिगृहीत भूमि एक एकड़ से कम है, ऐसे भू-स्वामियों को एक बार में ही लघुकृत मूल्य प्राप्त करने का विकल्प होगा जो 33 वर्षो के दौरान देय वार्षिक भृति की सकल राशि का 30 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि न तो राजस्व विभाग ने और न ही संबंधित प्राधिकारी/निगम ने छोटे किसानों को वार्षिक भृति की लघुकृत राशि का भुगतान किया था केवल अगरोहा (हिसार) के सैक्टर-6 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मामले को छोड़कर जहां 376 मामलों में से 300 में ₹ 1.47 करोड़ की कम्यूटेशन का भुगतान गया था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि वार्षिक भृति के कम्यूटेशन का प्रावधान वैकल्पिक था और वार्षिक भृति के अनिवार्य कम्यूटेशन के लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।

(iii) विस्थापित भू-स्वामियों को प्लाट/व्यापारिक स्थलों का आबंटन न करना

नीति में, विस्थापित भू-स्वामियों, जिनकी भूमि विकास के लिए अधिगृहीत की गई थी, को प्लाट के आबंटन का प्रावधान था। नीति को आगे इस सीमा तक उदार कर दिया गया (नवंबर 2010) कि जहां शहरी/औद्योगिक/कृषि मंडीकरण इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़े समूह के रूप में विकसित किया जाता है, आउसटी श्रेणी में आवासीय प्लाट आबंटित किए जाने चाहिए और यही लाभ उन मामलों में दिए जाने चाहिए जहां स्वयं अधिकृत आवासीय मकान को अधिगृहीत किया जाता है। व्यापारिक/औद्योगिक स्थल उन भू-स्वामियों को आबंटित किए जाने चाहिए, जिनका एक एकड़ और उससे अधिक राजस्व संपदा में लैंड होल्डिंग का 75 प्रतिशत अधिगृहीत किया गया था।

आडिट में यह देखा गया कि 41,743[41] एकड़ भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिगृहीत की गई थी परंतु नीति के अंतर्गत विभिन्न माप के प्लाटस के आबंटन के लिए योग्य लाभग्राहियों की न तो पहचान की गई और न ही प्लाट प्रदान किए गए। प्रशासक, हिसार (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के अंतर्गत अर्बन एस्टेट हांसी के मामले को छोड़कर, जहां विस्थापित भू-स्वामियों को सैक्टर-5 और 6 भाग-II हांसी में भिन्न-भिन्न साईज के 118 प्लाट विस्थापित भू-स्वामियों की कुल भूमि होल्डिंग का सत्यापन किए बिना आबंटित किए गए थे (सितंबर 2011)।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रियाधीन थी जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बताया कि (अक्तूबर 2013) कि भू-स्वामियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई जा रही थी और उसके बाद लाभग्राहियों को शार्टलिस्ट किया जाएगा।

---

[41] हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम: 23,199 एकड़, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: 18,105 एकड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 439 एकड़।

(iv) सामुदायिक विकास/इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का सृजन न करना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड संबंधित गांवों में समुदायिक विकास/इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के सृजन के लिए प्रतिपूर्ति राशि के दो प्रतिशत और विस्थापित भू-स्वामियों इत्यादि के आश्रितों के निपुणता विकास के लिए क्षतिपूर्ति राशि के एक प्रतिशत का प्रावधान नहीं कर रहे थे जो पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के अंतर्गत अनिवार्य है (अधिसूचना दिनांक 9 नवंबर 2010 का अनुच्छेद 18)।

यह अवलोकित किया गया कि तीन विभागों ने ₹ 6,444.97 करोड़[42] की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया था जिसके विरूद्ध सामुदायिक विकास के लिए ₹ 128.90 करोड़ का प्रावधान तथा निपुणता विकास के लिए ₹ 64.45 करोड़ का प्रावधान पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाना था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वे अपनी नीति के अंतर्गत 1995 से व्यय कर रहे थे और पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति 2010 के प्रावधानों को अपनाने के लिए सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर व्यय करने के लिए एक एजेंडा 29 अगस्त 2013 को अनुमोदित किया गया था जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति 2010 की अधिसूचना के बाद अधिगृहीत भूमि के विकास के लिए योजना प्रक्रियाधीन थी तथा मंडियों में सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2013) कि सैक्टरों/क्षेत्रों द्वारा घिरे हुए गांवों के विकास पर व्यय किया जा रहा था। तथापि, इस संबंध में कोई पृथक प्रावधान नहीं किया गया था। तथ्य, इस प्रकार रहता है कि सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं तथा योग्यता विकास पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(v) भू-स्वामियों को सूचना तथा शिकायत निपटान प्रणाली

भूमि अधिग्रहण कलैक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-9 के अंतर्गत भू-स्वामियों को नोटिस जारी करते समय, उनकी हकदारियों बारे सूचित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के विभिन्न निवेश विकल्पों पर भू-स्वामियों को परामर्श देने के लिए व्यवसायिक एजेंसियों को नियुक्त करना अपेक्षित था ताकि उन्हें संसाधनों को विवेकपूर्ण और उत्पादनकारी ढंग से प्रयुक्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग राज्य की पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन प्रतिपादन, समीक्षा और मानीटरिंग के लिए नोडल विभाग था। सभी शिकायतों/विवादों, जो पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हों, की सुनवाई के लिए एक संस्थागत यंत्रावली स्थापित की जानी थी।

आडिट में यह देखा गया कि न तो नोडल विभाग ने और न ही कार्यान्वयन प्राधिकारियों ने लाभग्राहियों को उनकी हकदारियों के संबंध में सूचना प्रदान की थी। भू-स्वामियों को परामर्श देने के लिए व्यवसायिक एजेंसियों को नियुक्त नहीं किया गया था और शिकायतों/विवादों की

[42] हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम: ₹ 2,841.54 करोड़: ₹ 129.96 करोड़ और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 3,473.47 करोड़।

समाधान यंत्रावली भी स्थापित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नोडल विभाग ने, नीति के कार्यान्वयन, प्रतिपादन, समीक्षा तथा मानीटरिंग के लिए नीति/मार्गनिर्देश नहीं बनाए थे। इन सभी कमियों ने सरकार द्वारा निर्मित नीति के मूल प्रयोजन को समाप्त कर दिया।

मामला अगस्त 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, 6 नवंबर 2013 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई जहां अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग ने वार्षिक भृति के अवितरण के मामले को गंभीरता से लिया और मामले को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों के साथ उठाने का आश्वासन दिया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

3.16 भवनों का निर्माण तथा उनका उपयोग

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रयोगकर्त्ता विभागों से सहमति प्राप्त किए बिना विभिन्न भवनों का निर्माण किया। ₹ 30.82 करोड़ की लागत पर निर्मित 34 भवन तथा ₹ 13.99 करोड़ की लागत से निर्मित 416 बूथ, कायोस्क तथा शाप-कम-आफिस खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, आडिटोरियम भवन का ₹ 9.33 करोड़ का पट्टा किराया वसूल नहीं किया गया था।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा पांच[44] प्रशासकों के कार्यालयों, जो कि 18[43] जिलों को आवृत करते थे, के 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 193.19 करोड़ की लागत से निर्मित 426 पब्लिक यूटीलिटी/सामुदायिक भवनों में से 21 भवन खाली पड़े थे तथा 17[45] भवनों पर अनधिकृत कब्जा था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार थे:

➢ विद्यालयों के भवन शिक्षा विभाग से परामर्श किए बिना निर्मित किए गए थे।परिणामस्वरूप, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 25 विद्यालय भवन शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिए गए थे तथा इनमें से दस विद्यालय भवन दूसरे विभागों द्वारा उनके कार्यालयों को चलाने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। इन भवनों को खाली करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 के सैक्शन 18 (बी) के अंतर्गत अपेक्षित थी जो प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कोई परिसर अनधिकृत रूप से अधिकार में रखा हुआ हो तो, जिलाधीश उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी कर सकता है। पंद्रह विद्यालय भवन खाली पड़े थे। ₹ 10.81 करोड़ की लागत से बने इन

---

44 (i) फरीदाबाद, (ii) गुड़गांव, (iii) हिसार, (iv) पंचकुला तथा (v) रोहतक।

43 1. अंबाला, 2. भिवानी, 3. फतेहाबाद, 4. झज्जर, 5. फरीदाबाद, 6. गुड़गांव, 7. हिसार, 8. जींद, 9. करनाल, 10. कुरूक्षेत्र, 11. कैथल, 12. पानीपत, 13. पंचकुला, 14. पलवल, 15 रोहतक, 16. सिरसा, 17. सोनीपत, 18. यमुनानगर।

45 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (5), नगर निगम (2), पुलिस (3), शिक्षा (4), मुख्य टाउन प्लानर, सहायक मुख्य अभियंता तथा इस्कान फाउंडेशन प्रत्येक के पास एक।

25 भवनों से नागरिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का वांछित प्रयोजन पूरा नहीं किया गया था।

प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा (सितंबर 2013) कि विद्यालय भवन संबंधित कब्जा करने वालों से खाली करवाए जाएंगे तथा शिक्षा विभाग को कब्जा लेने बारे अनुरोध किया जाएगा।

➢ 11 पोलीक्लीनिक भवनों में से छः भवन[46], जिनके निर्माण पर ₹ 18.92 करोड़ का व्यय हुआ था, अभी तक स्वास्थ्य विभाग को सौंपे नहीं गए थे।

➢ ₹ 1.09 करोड़ की लागत से निर्मित तीन डिस्पैंसरी भवन स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपे गए थे। इनमें से, दो भवन नगर निगम, गुड़गांव के अनधिकृत कब्जे में थे तथा पानीपत में एक भवन खाली पड़ा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि डिस्पैंसरी भवन खाली करवाए जाएंगे या संबंधित विभागों से किराया वसूल किया जाएगा।

उपरोक्त सभी मामलों में, यह देखा गया कि उपयोगकर्ता विभाग की पूर्व सहमति नहीं ली गई थी। यदि निर्माण पूर्व सहमति ली जाती तो भवनों के दुरूपयोग तथा दोषपूर्ण निवेश से बचा जा सकता था।

➢ गुड़गांव में निर्मित एक आडीटोरियम, मैसर्ज ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को फरवरी 2008 में 15 वर्ष के लिए प्रतिमास ₹ 0.36 करोड़ के लीज किराए पर, जो प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना था, लीज पर दिया गया। लीज किराया 1 मार्च 2012 से 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3.60 लाख तक बढ़ाया जाना अपेक्षित था किंतु नहीं बढ़ाया गया कंपनी ने अगस्त 2013 तक केवल ₹ 10.65 करोड़ भुगतान किया तथा ₹ 9.33 करोड़ की राशि, ₹ 90.03 लाख की पैनल्टी के साथ वसूलनीय थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि परियोजना भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की थी तथा पट्टेदारों से कानून के अनुसार लीज किराया वसूल किया जाएगा।

➢ पंचकूला में जुलाई 2002 तथा अप्रैल 2003 के बीच ₹ 21.36 लाख की लागत से निर्मित एक अर्द्ध स्वचालित बूचड़खाना तथा ₹ 12.60 लाख की लागत से नवंबर 2008 तथा अप्रैल 2009 के मध्य निर्मित एक एफयूलैंट ट्रीटमैंट प्लांट मार्च 2013 तक बिना उपयोग के थे क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त नहीं किया था। बूचड़खाने को चालू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ₹ 0.55 लाख फीस जमा करवाई थी, (जुलाई 2012) परंतु अनापत्ति प्रमाण – पत्र अभी तक प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला को सृजित संपत्तियों की उपयोगिता हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। अंतिम परिणाम

[46] (i) अंबाला (ii) पानीपत (iii) सोनीपत (iv) बहादुरगढ़ (v) रोहतक तथा (vi) झज्जर।

➢ नागरिकों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाने, ₹ 13.99 करोड़ की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 416 बूथों, क्योसकस तथा शाप-कम-आफिसों में से, 52[47] भवन विभिन्न कार्यालयों के कब्जे में थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद सात बूथ बेच दिए गए। शेष 357 भवन अभी तक खाली पड़े थे (अगस्त 2013)। ये भवन बहुत खराब/जीर्ण क्षीण अवस्था में थे और उनके अंदर तथा आसपास कचरे के ढेर पड़े थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, स्टेट आफीसर सिरसा ने सूचित किया (मई 2013) कि सी-ब्लाक सिरसा में चार बूथों पर पुलिस विभाग का कब्जा था। संपदा अधिकारी जींद ने सूचित किया (मई 2013) कि चार शाप-कम-आफिसों को उपायुक्त, जींद के आदेशानुसार कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। संपदा अधिकारी भिवानी ने सूचित किया कि शाप-कम-आफिस का दूसरा फ्लोर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास था परंतु किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि शाप-कम-आफिस, बूथ तथा क्योसकस को संबंधित कब्जेदारों से खाली करवाकर तथा जीर्ण एवं बिक्री के लिए अयोग्य भवन गिराने के बाद निलाम कर दिए जाएंगे।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी कहा (अक्तूबर 2013) कि प्रयोगकर्ता विभाग की सहमति के बिना कोई भवन न बनाने बारे निर्देश जारी किए गए थे तथा खाली भवनों को उपयोग में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बनाए गए शाप-कम-आफिस/बूथ/क्योसकस निकट भविष्य में विभिन्न चरणों से नीलाम किए जाएंगे। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

3.17 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि की उपयोगिता की स्थिति

मानीटरिंग की कमी के कारण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित 1,323.83 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी तथा 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अधिगृहीत खेती के अधीन थी।

राज्य में शहरी क्षेत्रों के सुयोजित विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक मुख्य एजेंसी है। अधिग्रहण के पश्चात्, यह 'विकास योजनाओं' के प्रावधान तथा ले-आउट प्लान के अनुरूप भूमि के विकास कार्य करती है। पांच जोन[48] में कुल अधिगृहीत 74,652.58 एकड़ भूमि में से, 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अप्राधिकृत खेती के अधीन थी तथा 1,641.84 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी। 1,323,83 एकड़ अतिक्रमित भूमि की स्थिति की नमूना-जांच ने निम्नलिखित स्थिति दर्शाई:

---

47 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (28), पुलिस (4), द.ह.बि.वि.नि.लि. (4), आबकारी एवं कराधान (2), राज्य विजिलेंस ब्यूरो (3), कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (4), आयकर (1), बैंक (2), किराए पर एक का अप्राधिकृत अधिकार (3)।

48 (1) फरीदाबाद (15,429.52 करोड़), (2) गुड़गांव (13,839.87 एकड़), (3) हिसार (8,621.12 एकड़), (4) पंचकुला (19,176.88 एकड़) तथा रोहतक (17,585.19 एकड़)।

➢ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक्ट, 1977 का सैक्शन 18 प्रावधान करता है कि कलैक्टर या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को तीस दिनों के भीतर भूमि खाली करने का आदेश दे सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति मना करता है अथवा विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो जिलाधीश यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग कर सकता है तथा 'भूमि राजस्व के बकाया' के रूप में नुकसान का निर्धारण तथा वसूली कर सकता है। 30 जून 2013 को अतिक्रमणित कुल 1,3,23.83 एकड़ भूमि में से, 343.83 एकड़ भूमि जबकि मुकद्दमेबाजी के अंतर्गत नहीं थी, फिरभी अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013), प्रधान सचिव ने कहा (अक्तूबर 2013) कि 980 एकड़ भूमि कोर्ट – स्टे के अधीन थी तथा न्यायालय में मामलों के निर्णय होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। शेष 343.83 एकड़ अतिक्रमणित भूमि में से (i) लगभग 100 एकड़ भूमि विभाग से विरासत थी जहां पर अतिक्रमण 25 से 30 वर्ष पुराना था अर्थात् 1987 से पहले का था तथा अतिक्रमण को हटाने के सभी प्रयास वहां पर पक्के घर होने के कारण विफल हो गए। (ii) लगभग 100 एकड़ भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान के बाद थर्ड पार्टियों द्वारा अतिक्रमणित की गई, जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके हटाई जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संबंधित पार्टियों को मुआवजे के भुगतान करने से पहले, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।

➢ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 4,921.60 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अप्राधिकृत खेती अधीन होने बारे सर्तकता विभाग द्वारा अर्बन एस्टेट को सूचित की गई थी (मई 2012)। प्रधान सचिव ने मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सभी अधिकारियों तथा प्रशासकों से अप्राधिकृत खेती के अंतर्गत पाई गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन की अनुपयोगिता बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। प्रशासकों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अप्रयुक्त भूमि की जांच की जानी अपेक्षित थी और यदि कोई ऐसी जमीन अप्राधिकृत रूप से खेती में थी, तो संपदा अधिकारियों सहित गलती करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध दस दिनों के भीतर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि संबंधित प्रशासकों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई थी तथा भूमि अभी तक अप्राधिकृत खेती अधीन थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कहा (अक्तूबर 2013) कि रोहतक डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाली 2,271,26 एकड़ भूमि में से, 1,875.26 एकड़ अप्राधिकृत खेती से मुक्त करवा ली गई थी तथा शेष 396 एकड़ भूमि 15 नवंबर 2013 को मुक्त करवा ली जाएगी परंतु परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)। मुख्य प्रशासक, ने 2,650.43[49] एकड़ भूमि पर अप्राधिकृत खेती को नहीं माना जबकि सर्तकता विभाग ने मई 2012 में अप्राधिकृत खेती के बारे में बताया गया था। तथापि, प्रधान सचिव ने कहा (अक्तूबर 2013) कि तथ्यों की जांच की जाएगी तथा सही स्थिति सूचित की जाएगी। आगे कार्यवाही/उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

➢ सर्वोच्च न्यायालय[50] के आदेशों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने जनवरी 2010 में धार्मिक संस्थानों का कब्जा हटाने अथवा अतिक्रमित भूमि की लागत की वसूली के बाद इन

---

[49] अंबाला – 377.55 एकड़, गुड़गांव – 768.24 एकड़, हिसार – 1,026.64 एकड़, पंचकुला – 478 एकड़।

[50] एस.एल.पी. नं. 8519 आफ 2006 दिनांक 29 सितंबर 2009.

संस्थानों की पुन: स्थापना/नियमित करने के लिए नीति बनाई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 125 धार्मिक संस्थाओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सात संपदा कार्यालयों[51] के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली 50.05 एकड़ भूमि को अतिक्रमण किया हुआ था। 125 मामलों में से, उपरोक्त पालिसी के अनुसार 29.729 एकड़ क्षेत्रफल वाले 79 मामले नियमित किए जाने थे परंतु नियमित नहीं किए गए (अगस्त 2013) तथा अतिक्रमण किए गए 20.319 एकड़ क्षेत्रफल वाले 46 मामलों में, अप्राधिकृत ढांचे/अतिक्रमण हटाए जाने थे परंतु हटाए नहीं गए (अगस्त 2013)।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सूचित किया (अक्तूबर 2013) कि फरीदाबाद के 79 स्थलों में से, छ: हटाए गए थे तथा एक की पुन: स्थापना की जानी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अतिक्रमण को हटाने के लिए किए गए प्रयास तथा इसके विफलता के कारण उत्तर में उल्लिखित नहीं थे। इस प्रकार, प्राधिकरण के स्तर पर समय पर कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप धार्मिक संस्थानों द्वारा भूमि का अतिक्रमण तथा प्राधिकरण/सरकार की लागत पर कानून के उल्लंघनकर्ताओं को अदेय लाभ हुए।

➢ जुलाई 2008 तथा जुलाई 2013 में जारी निर्देशों के अनुसार, संपदा अधिकारियों को एक सैक्टर की पाक्षिक/मासिक जांच की जानी तथा 2008 में जारी फार्मेट में सीधे ई-मेल के द्वारा संबंधित प्रशासकों, मुख्य प्रशासकों तथा प्रधान सचिव, टी.सी.पी.डी. को रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित थी। यह देखा गया कि:

अधिगृहीत की गई भूमि/संपत्ति, भुगतान की गई लागत, स्रोत जहां से अधिगृहीत की गई, अधिग्रहण का प्रयोजन, भूमि के स्वामित्व की तिथि, योजना अनुमोदन की तिथि, विकास की पूर्णता की तिथि, उपयोगिता/आबंटन की तिथि, बिक्री से प्राप्त आय/वसूलनीय राशि, संपत्ति के अंतिम निपटान की तिथि, इत्यादि को दर्शाते हुए विस्तृत डाटा बैंक अथवा परिसंपत्ति रजिस्टर न तो संबंधित संपदा कार्यालयों द्वारा न ही मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभागीय स्तर पर बनाए गए थे।

(क) (i) उपयोगिता के अनुसार आवश्यकता का निर्धारण (ii) सरप्लस भूमि का रखना/निपटान करना (iii) प्राधिकरण की भूमि की सुरक्षा हेतु कदम उठाने (iv) भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने तथा (v) अतिक्रमण से बचने के लिए कार्यवाही हेतु सिस्टम विकसित नहीं किया गया था।

(ख) विभिन्न संर्वगों के अंतर्गत 2,182 कर्मचारियों के स्वीकृत संख्या के विरूद्ध स्टाफ की कमी थी, क्योंकि केवल 1,328 कर्मचारी (61 प्रतिशत) नियुक्त थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा (अक्तूबर 2013) कि अतिक्रमण नियमित रूप से हटाया जा रहा था तथा भूमि के अतिक्रमण, उपयोग की गई, अनप्लांड संबंधी आवश्यक सूचना संबंधित संपदा कार्यालयों द्वारा तैयार की गई थी तथा मासिक मीटिंगों में आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती थी। आगे यह कहा गया कि निर्धारित, अधिगृहीत, प्लांड तथा अनप्लांड भूमि की शहरी संपदा वार सूचना तथा अतिक्रमण की स्थिति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध थी तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना फिर भी

---

[51] सिरसा - 0.4 एकड़, फरीदाबाद - 9.3 एकड़, हिसार - 5.11 एकड़, पंचकुला - 28.1 एकड़, गुड़गांव - II - 5.60 एकड़, गुड़गांव - I - 0.54 एकड़, सोनीपत - एक एकड़।

प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014) तथा उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एक समयावधि के भीतर उसके उपयोग के लिए भूमि की कुल आवश्यकता का निर्धारण, केंद्रीयकृत तरीके से विस्तृत डाटा बैंक रखने अथवा सरप्लस भूमि को निपटाने, अतिक्रमण को रोकने के लिए कार्यवाही करने तथा भूमि का आवधिक भौतिक सत्यापन तथा इस पर रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

परिवहन विभाग

3.18 विशेष सड़क टैक्स का परिहार्य भुगतान

रूटों पर परिचालन किए बिना दूसरे राज्यों को विशेष सड़क टैक्स के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 81.28 लाख की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सैक्शन 88 के सब-सैक्शन (5) के अनुसार हरियाणा रोडवेज अन्तर्राज्यीय अनुबंध के अंतर्गत अपनी बसें दूसरे राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि में चलाता है। इसके लिए विशेष रोड टैक्स का भुगतान शैड्यूल्ड किलोमीटरों के लिए प्राप्त रूट परमिट्स के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाता है। यदि हरियाणा रोडवेज का कोई डिपो कोई रूट परमिट परिचालन नहीं करना चाहता तो रूट परमिट सरेंडर से विशेष रोड टैक्स के भुगतान से बचा जा सकता है।

हरियाणा रोडवेज के तीन डिपो (दिल्ली, अंबाला तथा पानीपत) के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (फरवरी 2012, मई 2012 तथा जनवरी 2013), यह देखा गया कि इन डिपुओं ने संबंधित राज्यों के 12 रूटों पर बसें चलाए बिना संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को नवंबर 2007 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु ₹ 81.28[52] लाख का विशेष रोड टैक्स का भुगतान किया।

अंबाला डिपो में, पांच रूटों का परमिट 52 मास के बाद 30 अप्रैल 2012 को सरेंडर किया गया, इन रूटों पर बसें चलाए बिना विशेष रोड टैक्स का भुगतान किया गया था। दिल्ली डिपो में छ: परमिट में से, तीन फरवरी 2011 मे अभ्यर्पित किए गए, परंतु शेष तीन रूटों पर न तो बसें चलाई गई न ही परमिट अभ्यर्पित किए गए। पानीपत डिपो में, पानीपत-कोटा (राजस्थान) रूट पर, न तो बसें चलाई गई न ही रूट परमिट अभ्यर्पित किए गए। इस प्रकार, बसें चलाए बिना संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को ₹ 81.28 लाख का विशेष रोड टैक्स का भुगतान करने से राज्य राजकोष को हानि हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013) अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग ने सूचित किया कि इन रूटों पर कम प्राप्तियों के कारण बसें नहीं चलाई गई अथवा दूसरे रूटों को विपथित की गई और कहा कि यह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद परमिट सरेंडर कर दिए तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में इस संबंध में उचित ध्यान रखा जाएगा।

---

[52] (i) अंबाला: ₹ 41.23 लाख पांच रूटों के लिए, (ii) दिल्ली: ₹ 22.59 लाख छ: रूटों के लिए तथा (ii) पानीपत: ₹ 17.46 लाख एक रूट पर दो परमिटों के लिए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

3.19 सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निष्क्रिय रहना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस प्राप्त न करने से ₹ 11.05 करोड़ की लागत पर निर्मित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अप्रैल 2010 से निष्क्रिय पड़ा था।

नगर परिषद, अंबाला (अब निगम) ने गांव पटवी में ₹ 11.05[53] करोड़ की लागत पर एक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (प्लांट) निर्मित करवाया (जुलाई 2008)।

मैसर्ज टोरेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड और नगर निगम, अंबाला के बीच 7 जुलाई 2008 को 10 वर्षों के लिए प्लांट के परिचालन और रख-रखाव के लिए एक अनुबंध किया गया। परंतु हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड) से ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' प्राप्त नहीं किया गया। जब नगर निगम ने दिसंबर 2008 में बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया तो बोर्ड ने म्यूनसिपल सोलिड वेस्ट (मैनेजमेंट और हैंडलिंग) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पहले भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए नगर निगम को सलाह दी (जुलाई 2009)। मार्च 2010 में प्लांट के निरीक्षण के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट नियम 2000 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के लिए नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किया और प्लांट अप्रैल 2010 में बंद कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.05 करोड़ के निवेश से लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि नगर परिषद, अंबाला ने एक परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद भारत सरकार से एनवायरमैंट इम्पैक्ट एससमैंट क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। वैज्ञानिक/तकनीकी स्टडी परामर्शदाता द्वारा की जा रही थी। आगे, एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013), प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कहा कि एनवायरमैंट इम्पैक्ट एससमैंट प्राप्त न होने के कारण प्लांट परिचालन में नहीं था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि तहसील नारायणगढ़ में जटवाड़ में डबकोरा गांव में एस.डब्ल्यू.एम.पी. स्थापित करने के लिए अगस्त 2005 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था परंतु बाद में प्लांट पटवी गांव जिला अंबाला में स्थानान्तरित कर दिया गया। गलत धारणा के कारण पटवी में प्लांट के लिए नया अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया। उसने आगे सूचित किया कि पर्यावरण प्रभाव निर्धारण क्लेयरेंस प्राप्त करने के लिए फरवरी 2013 से एक कंसलटैंट को नियुक्त किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि प्लांट स्थापित करने के लिए चयन किए गए नए स्थल के लिए नया पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राप्त किया जाना अपेक्षित था और इसे समय पर प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से ₹ 11.05 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

---

[53] निर्माण लागत ₹ 9.96 करोड़ + भूमि की लागत ₹ 1.09 करोड़।

3.20 बकाया लीज मनी की अवसूली के कारण हानि

दिगंबर जैन सभा, अंबाला को दी गई भूमि की लीज डीड को 19 वर्षों से अधिक समय से न बनाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ की अवसूली हुई।

अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड के मिल्ट्री एस्टेट आफिसर ने 2.795 एकड़ भूमि (2.64 एकड़ भूमि फरवरी 1963 में तथा 0.155 एकड़ भूमि अगस्त 1963 में) और उस पर निर्मित एक स्कूल बिल्डिंग क्रमश: ₹ 739.20 तथा ₹ 43.20 के वार्षिक किराए पर, दिगंबर जैन सभा, अंबाला (अंबाला सदर) को, स्कूल शिक्षा बोर्ड (भिवानी), हरियाणा से मान्यता प्राप्त, जैन गर्ल्ज हाई स्कूल के मैनेजर के नाम पर 30 वर्ष की अवधि के लिए (15 अगस्त 1993 तक) डिफेंस सर्विस पर्सोनल के बच्चों के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण के साथ स्कूल चलाने के लिए लीज पर दी थी। लीज नवीकरण योग्य नहीं थी। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने, मिल्ट्री नियंत्रित अंबाला केंटोनमेंट एरिया की सीमाओं में से निश्चित लोकल एरिया, जिसमें उपयुक्त स्कूल का एरिया शामिल था, निकाल दिया (फरवरी 1977) तथा उसे हरियाणा सरकार को हस्तांतरित कर दिया। सरकार ने, हस्तांतरित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के प्रबंधन के लिए उपायुक्त, अंबाला को एस्टेट आफिसर के रूप में नियुक्त कर दिया (जनवरी 1999)।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अंबाला के कार्यालय में अभिलेखों की आडिट में पाया गया (सितंबर 2012) कि अगस्त 1993 में लीज अवधि की समाप्ति के बाद, मैनेजर, जैन कन्या हाई स्कूल ने, नगर पालिका, अंबाला को लीज की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया (फरवरी 1994)। नौ वर्षों के अंतराल के बाद सरकार ने उपर्युक्त भूमि की लीज अगली तीस वर्ष की अवधि के लिए (16 अगस्त 1993 से 15 अगस्त 2023 तक) बढ़ा दी (अप्रैल 2003) तथा ₹ 2,36,740 प्रति माह की दर पर किराया निश्चित किया। एस्टेट आफिसर/उपायुक्त ने दिगंबर जैन सभा को पंद्रह दिनों के अंदर उपर्युक्त दरों पर बकाया लीज किराया जमा करवाने के लिए अनुरोध किया (मई 2003)। परंतु सभा बढ़ी हुई दर पर किराया भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हुई तथा लीज किराया की दर कम करने के लिए उपायुक्त तथा सरकार को अनुरोध किया (मार्च 2005) क्योंकि सभा सरकार की नीतियों गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाली धर्मार्थ शैक्षिक संस्था होने के कारण इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं थी। परंतु विभाग, लीज किराया की दर कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ (मई 2007) तथा बताया कि स्कूल प्राधिकारियों के अनुरोध पर सरकार की न्यूनतम दरों पर लीज बढ़ाई गई थी। विभाग ने सभा को, हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रोपर्टीज तथा स्टेट प्रोपर्टीज (एच.एम.एम.पी.) नियम, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत 99 वर्ष के लिए लीज के आगे बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी परामर्श दिया।

सभा ने, न तो बढ़ाई गई दरों पर लीज मनी जमा करवाई थी और न ही बढ़ाई गई अवधि के लिए लीज डीड करवाई (फरवरी 2013)। प्रापर्टीज वापस लेने के लिए एच.एम.एम.पी. नियम, 2007 के नियम 18 के अंतर्गत कार्यवाही करके सभा से किराया वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही करने की बजाय विभाग/नगर निगम ने लीज मनी की वसूली के लिए केवल नोटिस जारी किए थे। परिणामत:, 16 अगस्त 1993 से 15 फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए देय ₹ 5.54[54] करोड़ की लीज मनी न तो वसूल की

[54] 16 अगस्त 1993 से 15 फरवरी 2013 = 234 महीने x 236740 = ₹ 553.97 लाख।

आडिट में यह देखा गया कि नगर निगम, अंबाला की अनुमति के बिना, जैन सभा ने, लीज की गई भूमि पर वर्ष 1999 में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल नामक दूसरा स्कूल आरंभ कर दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस आधार पर कि स्कूल अप्राधिकृत रूप से अधिकार में ली गई भूमि पर चलाया जा रहा था तथा स्कूल लीज डीड आगे बढ़ाने में विफल रहा था। अस्थाई मान्यता की वापसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (मार्च 2005)। फिर भी, एस्टेट आफिसर/उपायुक्त (एक्साइज्ड एरिया) ने बिना किसी शर्त के, इस नए खोले गए स्कूल को चलाने के लिए दिगंबर जैन सभा को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी कर दिया था (फरवरी 2008) जिसने दर्शाया कि स्कूल को अनुचित लाभ दिया गया था।

आडिट द्वारा इंगित किए जाने पर कमिश्नर, म्यूनिसीपल कार्पोरेशन, अंबाला ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि सभा से लीज किराया वसूल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था परंतु सभा ने लीज किराया का भुगतान नहीं किया था। कमिश्नर ने आगे बताया कि लीज किराया का भुगतान न करने के कारण भूमि वापस लेने के लिए सभा को नोटिस दिए गए थे। भू-राजस्व के बकायों के रूप में राशि वसूल करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी को अनुरोध किया गया था तथा चेयरमैन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुरोध किया गया था कि लीज मनी जमा करवाने के लिए सभा को निदेश दें तथा यदि सभा, लीज मनी जमा करवाने में विफल रहती है तो स्कूल चलाने के लिए सभा की मान्यता रद्द की जाए। तथ्य फिर भी, रहता है कि अगस्त 1993 से पूर्ववर्ती लीज अवधि के समाप्ति से उन्नीस वर्षों से अधिक अवधि बीतने के बाद भी विभाग/नगर निगम, लीज मनी वसूल करने तथा लीज डीड निष्पादित करवाने में विफल रहा तथा सभा द्वारा स्कूल अवैध तथा अप्राधिकृत तरीके से चलाया जा रहा था।

मामले पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ 25 सितंबर 2013 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान चर्चा की गई थी। तथ्य स्वीकार करते समय, प्रधान सचिव ने बताया कि लीज किराया उच्चत्तर साइड पर निश्चित हुआ था तथा मामले की शीघ्र समीक्षा की जाएगी। मामले में फाइनल एक्शन, फिर भी, प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.21 अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

मनमाने ढंग से चुने गए 14 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्गों के 9,906 प्रशिक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने पर विभाग ने ₹ 5.22 करोड़ व्यय किए। योग्यता की जांच किए बिना और यह सुनिश्चित किए बिना कि कोचिंग वास्तव में दी गई थी या नहीं, भुगतान कर दिया गया।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2009 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्कीम प्रारंभ की। 2010-11 से 2012-13 के

दौरान दस[55] प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले 9,906 परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 14 कोचिंग संस्थानों को ₹ 5.22 करोड़[56] का भुगतान किया।

महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में आडिट (अप्रैल और जून 2013 के बीच) के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई।

(i) संस्थानों के चयन में अनियमितताएं

ऊपर उल्लिखित स्कीम के पैरा 4 महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्कृष्ठ कोचिंग संस्थानों से प्रतिवर्ष प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था। प्राप्त प्रस्ताव, सचिव, महानिदेशक, उप निदेशक, अनुसूचित जाति और कोचिंग संस्थानों के लिए निर्धारित योग्यता शर्तें थी: (i) निर्धारित क्षेत्र में कोचिंग का दस वर्ष का अनुभव (ii) प्रतिवर्ष ₹ 10 लाख का टर्न ओवर (iii) प्रतिवर्ष कम से कम 35 प्रतिशत छात्रों की सफलता दर और (iv) संस्थानों को कोर्स की अवधि के लिए प्रति छात्र फीस कोट करनी अपेक्षित थी।

विभाग ने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे (दिसंबर 2010) और 16 कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग प्रदान करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। निर्धारित सिस्टम का अनुसरण किए बिना तथा उनकी योग्यता को ध्यान में रखे बिना कोचिंग प्रदान करने के लिए सभी 16 कोचिंग संस्थानों का चयन कर लिया गया। इनमें से (i) चार संस्थानों ने कोचिंग में 10 वर्ष के अनुभव का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया था (ii) दो संस्थानों का ₹ 10 लाख से कम का टर्न ओवर था (iii) आठ संस्थानों ने अपना टर्न ओवर सूचित नहीं किया था और (iv) दो संस्थानों के दस्तावेज रिकार्ड में नहीं थे। उसके बाद आगामी वर्षों में कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए। इन 16 कोचिंग संस्थानों में से 14 कोचिंग संस्थानों ने 2010 – 2013 के दौरान कोचिंग प्रदान की। इस प्रकार, उन कोचिंग संस्थानों, जो मूल शर्तों को पूर्ण नहीं करते थे, का चयन अनियमित था तथा इंगित किया कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को अनुचित लाभ दिया गया था। यह भी अवलोकित किया गया कि दो[57] संस्थानों का मालिक एक ही व्यक्ति था और उनके पते भी एक थे (शाप – कम – आफिस सं. 221, सैक्टर – 36,

---

55 (i) ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंटरेंस एग्जामीनेशन (ए.आई.ई.ई.ई.), (ii) बैंक क्लर्क्स 2011, (iii) बैंक क्लर्क्स 2013, (iv) क्म्बाईड ग्रेजुएट लेबल एग्जामीनेशन (सी.जी.एल.), (v) हरियाणा टीचरर्ज एजिबिलिटी टेस्ट (एच.टी.ई.टी.), (vi) लेटरल इंजीनियरिंग इंटरेंस टेस्ट (एल.ई.ई.टी.), (vii) प्री – मैडिकल टेस्ट (पी.एम.टी.), (viii) प्रोबेशनरी आफीसर्ज इन बैंक्स (पी.ओ.), (ix) डिप्लोमा इंटरेंस टेस्ट (डी.ई.टी.), (x) आल इंडिया सिविल सर्विसिज (आई.ए.एस.)।

56 (1) मैसर्ज मास्टरमाइंड क्लासिस, चंडीगढ़ (एम.एम.सी.): ₹ 2.55 करोड़, (2) गेटवे, चंडीगढ़ (जी.डब्ल्यू.सी.): ₹ 1.06 करोड़, (3) एक्सीलेंट सिविल अकादमी, करनाल (ई.सी.ए.के.): ₹ 0.69 करोड़, (4) एक्सीलेंट सिविल अकादमी, रेवाड़ी (ई.सी.ए.आर): ₹ 0.25 करोड़, (5) एस.एस. कंप्यूटर, पानीपत (एस.एस.): ₹ 0.25 करोड़, (6) हरियाणा इस्टीट्यूट आफ इन्फारमेशन एंड टेक्नोलॉजी, अंबाला सिटी (एच.आई.आई.टी.): ₹ 0.17 करोड़, (7) संकल्प, नई दिल्ली: ₹ 0.08 करोड़, (8) कीवी एंड मैपल्स चंडीगढ़ (के. एंड एम.): ₹ 0.06 करोड़, (9) कैरियर लॉचर, चंडीगढ़ (सी.एल.सी.): ₹ 0.03 करोड़, (10) बी.एस.सी. अकादमी, चंडीगढ़ (बी.एस.सी.): ₹ 0.03 करोड़, (11) आई.ए.एस. स्टडी सर्कल, चंडीगढ़ (आई.एस.सी.): ₹ 0.02 करोड़, (12) ए.के. विद्यामंदिर, चंडीगढ़ (ए.के.वी.): ₹ 0.01 करोड़, (13) चण्डीगढ़ कोचिंग सेंटर, चंडीगढ़ (सी.सी.सी.): ₹ 0.01 करोड़ और (14) अभिमन्यु कोचिंग सेंटर, चंडीगढ़ (ए.सी.सी.): ₹ 0.01 करोड़।

57 मैसर्ज मास्टरमाइंड क्लासिस, चण्डीगढ़ और मैसर्ज गेटवे, चण्डीगढ़।

चण्डीगढ़)। जिसके लिए विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि स्कीम दो संस्थानों को बहिष्कृत नहीं करती यदि उनका मालिक एक ही व्यक्ति है। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दो संस्थानों के लिए एक ही समय पर एक ही स्थान पर कोचिंग प्रदान करना असंभव था।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग ने 13 जनवरी 2014 को आयोजित एक एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कोचिंग संस्थानों के चयन में कमियों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि चयन की प्रक्रिया की जांच की जाएगी और उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जो गलत चयन के लिए उत्तरदायी थे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(ii) परीक्षार्थियों के चयन में अनियमितताएं

महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अंतर्गत कोचिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों से विभिन्न कोर्सो और परीक्षाओं के लिए समय-समय पर आवेदन पत्र आमंत्रित करना अपेक्षित था। परीक्षार्थी, जो निश्चित योग्यता शर्तें पूरी करते थे, का चयन राज्य स्तर, पर सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो समिति का चेयरपर्सन भी था, द्वारा नामित विशेषज्ञों से समायुक्त समिति द्वारा किया जाना था। कोचिंग संस्थानों को अपेक्षित था कि (i) केवल उन परीक्षार्थियों को प्रवेश देना जो समिति द्वारा चुने गए हों (ii) दी गई कोचिंग तथा परीक्षार्थियों की प्लेसमेंट के बारे में पूरा रिकार्ड रखना (iii) स्कीम के लिए जारी की गई निधियों के लिए पृथक लेखे रखना और (iv) परीक्षार्थियों के पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, जाति, कुल पारिवारिक आय (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र), हरियाणा अधिवासी प्रमाण-पत्र, कोचिंग प्राप्त करने के लिए पद/कोर्स के लिए आवेदन करने का प्रमाण और शैक्षणिक योग्यताएं आदि विभाग को प्रस्तुत करना।

परीक्षार्थियों को कोचिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए सीधे कोचिंग संस्थानों को उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो स्कीम के प्रावधान का उल्लंघन था। विभाग ने परीक्षार्थियों के उचित रिकार्ड, जैसे परीक्षर्थियों से आवश्यक प्रमाणपत्र, सूचना और एफीडेविट, अनुरक्षित नहीं किए थे। 9,906 परीक्षार्थियों में से, केवल 5,729 परीक्षार्थियों से संबंधित रिकार्ड आडिट को उपलब्ध करवाए गए थे। विभाग ने सूचित किया कि शेष परीक्षार्थियों के रिकार्ड कार्यालय भवन के शिफ्टिंग के दौरान मिसप्लेज हो गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा मिसप्लेज हुए रिकार्ड को ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5,729 परीक्षार्थियों से संबंधित रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि:

- कुल 5,729 सदस्यों में से, विभाग ने आठ परीक्षाओं के लिए केवल 822 परीक्षार्थियों को स्पोंसर किया था तथा एच.टी.ई.टी. के लिए विभाग द्वारा कोई परीक्षार्थी स्पोंसर नहीं किया गया था।

- एच.टी.ई.टी. के 3,638 आवेदन फार्मों में से, 2,140 फार्मों में शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, 1,744 फार्मों में जाति प्रमाण-पत्र, 2,524 फार्मों में निवासीय प्रमाण-पत्र, 1,311 फार्मों में आय प्रमाण-पत्र और 1,361 में आवासीय पते के प्रमाण संलग्न नहीं पाए गए, केवल 164 आवेदन हर प्रकार से पूर्ण थे।

➢ एच.टी.ई.टी. में, 1,757 परीक्षार्थियों के पारिवारिक आय के समर्थन में एफीडेविट चरखी दादरी के नोटरी पब्लिक द्वारा कोचिंग के समापन की तिथि से दो मास बाद एक ही दिन अर्थात् 12 जनवरी 2012 को सत्यापित किए गए थे। आगे, मौलिक एफिडेविड की बजाय दावों के साथ केवल फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई थी।

➢ सिविल सेवाएं (प्रारंभिक परीक्षा) के संबंध में आडिट को उपलब्ध किए गए 163 आवेदन फार्मों में से कोई भी आवेदन फार्म पूर्ण नहीं पाया गया।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों के चयन के संबंध में स्कीम के प्रावधान परस्पर विरोधी थे। स्कीम में, सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा नामांकित विशेषज्ञों से युक्त राज्य स्तरीय समिति तथा सूचीबद्ध संस्थानों जोकि स्कीम के प्रचार के लिए उत्तरदायी थे, दोनों द्वारा परीक्षार्थियों के चयन का उल्लेख है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्ग–निर्देशों में स्पष्ट निर्देशों को शामिल किया जाएगा। प्रधान सचिव का तर्क युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कोचिंग प्रदान किए गए परीक्षार्थियों का उपयुक्त रिकार्ड जैसा कि अपेक्षित था, नहीं रखा गया था।

(iii) भुगतान करने में अनियमितताएं

सभी जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा उन कोचिंग केंद्रों, जहां चयनित परीक्षार्थियों को कोचिंग दी जा रही थी, का निरीक्षण सप्ताह में दो बार करना अपेक्षित था और संबंधित परीक्षा बोर्डो/कमीशनों द्वारा जारी रोल नंबर इत्यादि के साथ परीक्षार्थियों की उपस्थिति की फोटो प्रतियों सहित विवरण तथा कोचिंग की प्रगति तथा विवरण के साथ की अपनी रिपोर्ट महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विभाग के कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

आडिट ने अवलोकित किया कि कल्याण अधिकारियों ने अपेक्षा अनुसार कोचिंग सैंटरों का निरीक्षण नहीं किया तथा परीक्षार्थियों की संख्या हैड काउंट अथवा औसत आधार पर सूचित की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि एच.टी.ई.टी. कोचिंग में, समय की बाधाओं के कारण विभाग निर्धारित जांच नहीं कर पाया और भुगतान जिला कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टों पर किया गया था। उसने आश्वासन भी दिया कि रिपोर्टों की जांच की जाएंगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(iv) आडिट द्वारा परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के परिणाम

परीक्षार्थियों द्वारा कोचिंग के द्वारा प्राप्त लाभों की समीक्षा करने के लिए, आडिट ने 9,906 परीक्षार्थियों में से 2,775 परीक्षार्थियों का सर्वेक्षण किया और फीडबैक प्रश्नावली तरीके द्वारा ली गई। किए गए सर्वेक्षण तथा पाई गई अनियमितताओं का कोर्स–वार विवरण **तालिका 3.21.1** में दिया गया है:

तालिका: 3.21.1: परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के दौरान देखी गई अनियमितताओं का विवरण

क्र. सं	परीक्षा का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	संस्थान का नाम और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए परीक्षार्थी	प्रशिक्षित परीक्षार्थियों की संख्या, जिनके लिए भुगतान किया गया था	दिनों में कोचिंग की अवधि	परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन	
						भौतिक सत्यापन का नमूना	भौतिक सत्यापन के परिणाम
1	हरियाणा टीचर एलीजिबिलिटी टेस्ट (एच.टी.ई.टी.)	1.20	एम.एम.सी.(1,667) जी.डब्ल्यू.सी. (1,697) ई.सी.ए.के. (51) ई.सी.ए.आर. (71) एस.एस. (59) एच.आई.आई.टी. (93)	3,638	15	1145	(i) 1,031 परीक्षार्थियों (90 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (ii) 42 परीक्षार्थियों को कम दिनों के लिए कोचिंग प्रदान की गई। (iii) 11 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को कोचिंग के लिए भुगतान किया था।
2	डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट (डी.ई.टी.) और लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट (एल.ई.ई.टी.)	1.06	एम.एम.सी.(1,686) एच.आई.आई.टी. (202) के. एंड एम. (138)	2026	90	248	(i) 155 परीक्षार्थियों (62 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (ii) कोचिंग केवल 24 दिनों के लिए प्रदान की गई। (iii) हिसार में एक संस्थान जिसे एक कोचिंग संस्थान की शाखा होने का दावा किया था में कोई कोचिंग क्लास आयोजित नहीं की गई। (iv) जिला कल्याण अधिकारियों ने प्रशिक्षण के आयोजन के दौरान कोचिंग संस्थान का निरीक्षण नहीं किया और हैड काउंट आधार पर परीक्षार्थियों की संख्या सूचित की।
3	प्री मैडिकल एंट्रेंस टेस्ट (पी.एम.टी.)	0.63	एम.एम.सी. (569) सी.सी.सी. (6)	575	90	65	(i) 42 परीक्षार्थी कोचिंग के योग्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने 10 2 परीक्षा कला विषयों के साथ पास की थी। (ii) कोचिंग केवल 26 दिनों के लिए प्रदान की गई।
4	आल इंडिया इंजीनियरिंग ऐंट्रेंस एक्जामिनेशन (ए.आई.ई.ई.ई.)	0.52	एम.एम.सी. (720) एच.आई.आई.टी. (55) एस.एस. (15)	790	90	152	(i) 115 परीक्षार्थियों (75 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी यहां तक कि 91 परीक्षार्थी अपात्र थे क्योंकि उन्होंने 10 2 परीक्षा कला विषयों के साथ पास नहीं की थी। (ii) एम.एम.सी. की 14 ब्रांचों में से कोचिंग 12 ब्रांचों में क्लासें आयोजित नहीं की गई थी। (iii) कोचिंग केवल 27 से 60 दिनों के लिए प्रदान की गई थी।
5	बैंक क्लर्कस परीक्षा	1.20	जी.डब्ल्यू.सी. (902) ई.सी.ए.के. (636) एस.एस. (367) ई.सी.ए.आर. (296) बी.एस.सी. (26)	2,227	60	794	(i) 307 परीक्षार्थियों (39 प्रतिशत) ने आवेदन दिया था पर कोचिंग क्लासिस में उपस्थित नहीं हुए थे। (ii) 258 परीक्षार्थियों (32 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (iii) 20 (3 प्रतिशत) ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया था। (iv) 91 (11 प्रतिशत) परीक्षार्थियों ने कोचिंग अपेक्षित से कम दिनों के लिए प्राप्त की थी।

क्र. सं	परीक्षा का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	संस्थान का नाम और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए परीक्षार्थी	प्रशिक्षित परीक्षार्थियों की संख्या, जिनके लिए भुगतान किया गया था	दिनों में कोचिंग की अवधि	परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन	
						भौतिक सत्यापन का नमूना	भौतिक सत्यापन के परिणाम
6	प्रोबेसनरी आफिसर्ज परीक्षा	0.22	ई.सी.ए.के. (127) ई.सी.ए.आर. (76) एस.एस. (45) बी.एस.सी. (20)	268	60	154	(i) 15 परीक्षार्थियों ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग प्राप्त की थी। (ii) 7 परीक्षार्थियों ने आवेदन तो दिया था पर कोचिंग प्राप्त नहीं की थी। (iii) 18 परीक्षार्थी अपात्र थे। (iv) 21 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया।
7	कंबाइंड ग्रेजुएट लेबल परीक्षा	0.10	ई.सी.ए.के. (68) ई.सी.ए.आर. (50)	118	60	76	(i) 14 परीक्षार्थियों ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग प्राप्त की थी। (ii) 4 परीक्षार्थियों ने आवेदन तो दिया था पर कोचिंग प्राप्त नहीं की। (iii) 15 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया।
8	सिविल सेवाएं (प्रारंभिक परीक्षा)	0.29	ई.सी.ए.के. (81) संकल्प (46) सी.एल.सी. (21) आई.एस.सी. (15) ए.के.वी. (7) ए.सी.सी. (4)	174	90	141	(i) 49 परीक्षार्थियों ने (35 प्रतिशत) कोचिंग प्राप्त नही ं की थी। (ii) 30 परीक्षार्थियों ने केवल 30 दिनों के लिए कोचिंग प्राप्त की।
	कुल	5.22	9,816[58]	9,816		2,775	

स्रोतः परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित तथा विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

ऊपर की तालिका इंगित करती है कि भौतिक सर्वेक्षण किए गए 2,775 परीक्षार्थियों में से, 1,588 परीक्षार्थियों ने कोचिंग के लिए आवेदन नहीं किया था, 151 परीक्षार्थी संबंधित कोचिंग लेने के लिए अपात्र पाए गए, 360 परीक्षार्थियों ने कोचिंग के लिए आवेदन किया था परंतु किसी कोचिंग में उपस्थित नहीं हुए, 67 परीक्षार्थियों ने कोचिंग लेने के लिए कोचिंग संस्थानों को अतिरिक्त भुगतान किया और 163 परीक्षार्थियों ने शिकायत की कि कोचिंग कम दिनों के लिए प्रदान की गई थी।

➢ आगे, यह अवलोकित किया गया कि एच.टी.ई.टी. में, आवेदन पत्र मंगवाने के लिए विज्ञापन की तिथि तथा कोचिंग संस्थान द्वारा कोचिंग प्रारंभ करने की तिथि एक (20 अक्तूबर 2011) थी। सारे हरियाणा से परीक्षार्थियों के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने सूचित किया कि निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग के स्तर पर एक जांच समिति गठित की गई थी और कोचिंग संस्थानों को भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी और चूककर्ताओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जाएगी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

[58] 2012 – 13 में बैंक क्लर्कों के लिए कोचिंग में कुल 729 परीक्षार्थी थे परंतु परीक्षार्थियों की औसत आधार पर गणना करते हुए 639 परीक्षार्थियों के लिए भुगतान किया गया था।

➢ संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने सूचित किया कि 163 परीक्षार्थियों में से केवल 89 परीक्षार्थियों ने सिविल सेवाएं (प्रारंभिक) परीक्षा 2011-12 के लिए आवेदन दिए थे परंतु केवल एक परीक्षार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसने इंगित किया कि 74 परीक्षार्थियों (163 - 89=74) ने संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन तक नहीं दिया था और योग्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सुनिश्चित किए बिना कोचिंग प्रदान की गई। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि (अगस्त 2013) राज्य से बाहर दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले संस्थानो का निरीक्षण नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने सूचित किया कि मामला जांच के लिए पुलिस के महानिदेशक के साथ उठाया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी। (जनवरी 2014)।

(v) सेवा कर का अनुचित भुगतान

हाई पावर कमेटी की बैठक (फरवरी 2011) में लिए गए निर्णय अनुसार, कोचिंग संस्थानों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित कोचिंग फीस की दरों में सेवाकर का उल्लेख नहीं था।

फिर भी, यह देखा गया कि विभाग ने कोचिंग संस्थानों को 2010-11 से 2011-12 के दौरान, कमेटी द्वारा अनुमोदित दरों पर फीस के अतिरिक्त सेवाकर के कारण ₹ 45.73 लाख का भुगतान किया था (मार्च 2012)। केंद्रीय उत्पाद विभाग, चंडीगढ़ से जांच पर यह पाया गया (अक्तूबर 2013) कि मैसर्ज गेटवे, चंडीगढ (जिसे ₹ 9.89 लाख सर्विस टैक्स भुगतान किया गया) ने वर्ष 2011-12 के लिए सेवाकर रिटर्न 'शून्य' प्रस्तुत की थी और मैसर्ज मास्टर माइंड क्लासिस, चंडीगढ़ (जिसे ₹ 23.84 लाख का सर्विस टैक्स भुगतान किया) ने 2011-12 अवधि के लिए रिटर्न नहीं भरी थी। यह भी पाया गया कि चार[59] संस्थान सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे। और छ:[60] संस्थानों ने सेवाकर जमा करवाया था जैसा कि सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

एग्जिट कांफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान, प्रधान सचिव ने बताया कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने सेवाकर जमा करवाया था और चालानों की प्रतियां शीघ्र ही आडिट को प्रस्तुत की जाएंगी। अन्य संस्थानों के मामले में जिन्होंने सेवाकर जमा नहीं करवाया था, चूककर्ताओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।

➢ इस प्रकार, स्कीम सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं की गई और लक्ष्यित वर्गों के योग्य परीक्षार्थियों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ संकलित दस्तावेजों की पूर्णता और वास्तविकता के सत्यापन के बिना भुगतान करने से, विभाग द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थानों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

---

[59] (i) मैसर्ज एक्सालैंट सिविल अकादमी, करनाल तथा रेवाड़ी (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 6.72 लाख), (ii) मैसर्ज एस.एस. कम्प्यूटरज, पानीपत (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 1.41 लाख), (iii) मैसर्ज कीवी तथा नेपलज, चंडीगढ़ (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 0.57 लाख) तथा (iv) मैसर्ज संकल्प जन कल्याण शिक्षा समिति, दिल्ली (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 0.71 लाख)।

[60] (i) मैसर्ज ए.के. विद्या मंदिर, चंडीगढ़: ₹ 0.10 लाख, (ii) मैसर्ज अभिमन्यु कोचिंग सैंटर: ₹ 0.06 लाख, (iii) मैसर्ज आई.ए.एस. स्टडी सर्कल, चंडीगढ़: ₹ 0.23 लाख, (iv) मैसर्ज हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन एंड टैक्नौलोजी: ₹ 1.52 लाख, (v) मैसर्ज चंडीगढ़ कोचिंग सैंटर: 0.06 लाख और (vi) मैसर्ज बी.एस.सी. अकादमी: ₹ 0.29 लाख।

उपयुक्त बिंदु सरकार को अक्तूबर 2013 में भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी, बिंदुओं पर प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ जनवरी 2014 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी तथा एग्जिट कांफ्रेंस के विचार–विमर्श रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः **भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक**